बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रतिवेदन 2012–13 कार्यक्रम 2013–14

विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ट संख्या
1.	प्रस्तावना	3 – 5
2.	प्राथमिक शिक्षा	6 – 16
3.	मध्याह्न भोजन	17 – 19
4.	जन शिक्षा	20 – 21
5.	माध्यमिक शिक्षा	22 – 31
6.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	32 – 35
7.	राज्य शिक्षा शोध एंव प्रशिक्षण परिषद	36 – 39
8.	बिहार मुक्त विद्यालयी	40 – 41
9.	बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड	42
10.	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड	43 – 44
11.	अध्यापक शिक्षा	45 – 53
12.	उच्च शिक्षा	54 – 55
13.	बिहार राज्य पाठय पुस्तक निगम	56 – 58
14.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम	59 – 61
15.	प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14 का कार्यक्रम	62 – 71
16.	विभागीय संरचना	72 – 73

प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्ति के विकास तथा समाज के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का एक सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। बिहार राज्य की 10.38 करोड़ जनसंख्या में आधी से ज्यादा आबादी नयी पीढ़ी–युवा पीढ़ी की है जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है। नयी पीढ़ी की शिक्षा एवं कौशल विकास पर ही किसी भी राज्य की समृद्धि निर्भर है। कम उम्र की आबादी ज्यादा होने के कारण बिहार जैसे राज्य में शिक्षा ही सर्वाधिक प्राथमिकता है क्योंकि इसके अभाव में मानव विकास बाधित होगा। यही कारण है कि बिहार सरकार ने 2012–13 के बजट (योजना एंव गैर योजना मद) में ₹14586.89 करोड़ शिक्षा के लिए कर्णांकित किया गया था जिसमें अभी तक ₹10613.54 करोड़ व्यय किया जा चुका है (73%)।

बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 01.04.2010 से बिहार सहित पूरे देश में लागू हो गया है। आज विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके प्रावधानों को शतप्रतिशत लागू करना है। बिहार राज्य में इस अधिनियम को लागू करने के लिए ''बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011'' दिनांक 12.05.2011 को अधिसूचित की गयी है। शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका अधिकार है। इसके लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंदर प्रारंभिक विद्यालय की व्यवस्था के साथ बच्चों की नामांकन, उपस्थिति एवं वर्ग 8 तक की शिक्षा को पूरी करने हेतु आवश्यक प्रावधान किये जाने है। औसतन 35 बच्चों पर 1 शिक्षक की व्यवस्था की जानी है तथा विद्यालय में भवन, शौचालय, पेयजल, सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी, पुस्तकालय, खेल का मैदान आदि की व्यवस्था की जानी है। प्राथमिक विद्यालय को वर्ष में न्यूनतम 200 दिन एवं प्रारंभिक विद्यालयों को 220 दिन संचालित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में इन प्रावधानो को लागू करने के लिए विभाग के स्तर पर अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये। आधारभूत संरचना निर्माण हेतु नये विद्यालय भवन का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण एवं बड़े पैमाने पर शिक्षको की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है।

यही नहीं विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने हेतु मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत विद्यालय स्तर पर सामाजिक उत्सव आयोजित कर सभी विद्यालयों में यथा संभव बिहार विधानमंडल एवं संसद सदस्यों, जिला परिषद् के अध्यक्षों एवं सदस्यों, नगर निकाय के अध्यक्षों एवं सदस्यों, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित), ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, छात्र/छात्राओं के माता–पिता/अभिभावक एवं शिक्षकों की उपस्थिति में दिनांक 15.01.2013 से 30.01.2013 तक सामाजिक उत्सव मनाकर राशि का वितरण किया गया।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर

पिछले वर्षो में अच्छी प्रगति होने के बावजूद राज्य को अभी बहुत आगे जाना है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु बिहार शैक्षणिक गुणवत्ता मिशन की स्थापना की गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) द्वारा प्रकाशित वर्ष 2010–11

के राज्य रिर्पोट कार्ड के अनुसार बिहार में कक्षा–1 में कुल 35,84,000 बच्चे नामांकित हुए जिनमें से 17,44,000 लड़कियां थीं। कक्षा–6 में 17,00,000 बच्चे नामांकित थे जिनमें 8,11,000 लड़कियां थीं। कक्षा–9 में नामांकन की कुल संख्या घटकर 10,59,000 थी जिनमें से 4,51,000 लड़कियां थीं। आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा में राज्य अब सम्पूर्ण नामांकन के बहुत करीब पहुंच चुका है तथा 99 प्रतिशत गांव, टोला, बसावट के निकट प्राथमिक विद्यालय एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर स्थापित हो चुके हैं। प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करनेवालों बच्चों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इसलिए अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा की माँग की जा रही है। नामांकन की सफलता के पश्चात् अब नियमित छात्र उपस्थिति तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी मुहिम चलायी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिहार के बच्चों को मानव विकास की सभी सुविधायें उपलब्ध हों जिससे वे अपनी क्षमता और कौशल का पूरा विकास कर सकें।

माध्यमिक शिक्षा मे बढ़ते दबाब के कारण माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का निर्णय लिया गया है। राज्य में माध्यमिक विद्यालयों की कमी है। अतः वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए निजी प्रबंधन में चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।

बड़ी संख्या में वैसे मध्य विद्यालय जिनके पास पर्याप्त भूमि है और उनके 5 किलोमीटर की दूरी में माध्यमिक विद्यालय नहीं है उन्हें माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड में गरीब बच्चियों की माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए एक बालिका छात्रावास की स्थापना की जा रही है। इससे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वर्ग–8 की पढ़ाई पूरी करनेवाली बच्चियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा।

उच्च शिक्षा के विकास के लिए महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रत्येक अंगीभूत महाविद्यालय में पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। परीक्षाओं के कारण महाविद्यालयों में पठन–पाठन बाधित नहीं हो, इस उद्देश्य से प्रत्येक जिले के एक महाविद्यालय में परीक्षा भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थितिः–

(क)	विद्यालयों की संख्या	–	72,879
	(i) प्राथमिक विद्यालय	–	42,711
	सरकारी	–	42,629
	सहायता प्राप्त	–	82
	(ii) मध्य विद्यालय	–	29,717
	सरकारी	–	28,742
	सहायता प्राप्त	–	975
	(iii) बुनियादी विद्यालय	–	391

नोट : इसके अन्तर्गत 20,340 नवस्थापित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सम्मिलित है।

(ख) बच्चों की संख्या एवं नामांकन

(I) राज्य में 6–14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या– 2,18,09,131

(ii) विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या – 2,15,26,462

(iii) सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या– 2,08,59,231

(iv) विद्यालय से बाहर (अनामांकित) बच्चों की संख्या – 2,82,669

(v) विद्यालय से बाहर (अनामांकित) बालिकाओं की संख्या– 1,33,398

(vi) विद्यालय से बाहर (अनामांकित) अनु0 जाति बच्चों की संख्या–85,961

(vii) विद्यालय से बाहर (अनामांकित) अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या–71,082

(ग) शैक्षिक स्थिति

(I)	सकल नामांकन अनुपात	–	98.70
(ii)	छीजन दर (I से V)	–	5.73
(iii)	छीजन दर (VI से VIII)	–	4.29
(iv)	छात्र शिक्षक अनुपात(स्वीकृत पद के विरूद्ध)–		39:1
(v)	छात्र शिक्षक अनुपात(कार्यरत पद के विरूद्ध)–		58:1

I प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत किये गये मुख्य कार्य निम्नांकित हैः–

- ''बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009'' के कार्यान्वयन हेतु "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011" का गठन करते हुए उसे दिनांक–12.05.2011 को अधिसूचित किया गया।

- राज्य सलाहकार परिषद् का गठनः– ''बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009'' की धारा 34 एवं ''बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011'' के नियम 25 में विर्निदिष्ट प्रावधानों के आलोक में शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है।

- बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2012 अधिसूचित की गयी है।

- मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के वर्ग–1 (एक)/प्रारंभिक कक्षाओं में समाज के कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन हेतु 25 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत वर्ष 2012 में 4306 बच्चों का नामांकन वर्ग– 1 में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹52500000/– (पॉच करोड़ पच्चीस लाख रूपये) स्वीकृत किया गया हैं।

- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए कैपिटेशन फीस (Capitation fee) नहीं लेने तथा बच्चों या उसके माता–पिता/अविभावक को किसी भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजारने हेतु निदेश निर्गत किया गया है। नामांकन लॉटरी/रैण्डम पद्धति के आधार पर करने का निदेश दिया गया है।

- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 26 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

- पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण लगभग 169000 शिक्षकों की नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। नियोजन पत्र मार्च, 2013 में निर्गत होना प्रारंभ होगा।

- अगले अकादमिक सत्र के प्रारंभ के महीने में अधिकांश शिक्षक विद्यालयों में पदस्थापित हो जायेगे। वर्ग 6 से 8 के शिक्षण हेतु विषय शिक्षक को विशेष रूप से नियोजन किया जा रहा है ताकि भाषा, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों को पढ़ानें हेतु उच्च योग्यता के शिक्षक उपलब्ध हो जायेंगे।

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक टोला के लिए पड़ोस के विद्यालयों को निर्धारित करने, बच्चों के नामांकन हेतु जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में वैकल्पिक अभिलेख लेने, बच्चों को शारीरिक दण्ड नहीं देने, एक शैक्षणिक वर्ष में पढ़ाई के लिए न्यूनतम शैक्षणिक दिवसों एवं घण्टों के निर्धारण के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं एवं तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।

- राज्य के प्रत्येक प्रारम्भिक विद्यालय में तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति के गठन की कार्रवाई की गयी है।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य में 34540 के विरूद्ध 32247 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

- राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) के माध्यम से पेंशन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत शिक्षकों के वेतन से न्यूनत्तम ₹200/– प्रतिमाह की राशि कटौती की जाएगी एवं राज्य सरकार द्वारा ₹200/– प्रतिमाह का अंशदान दिया जायेगा।

- स्थानीय निकायों के माध्यम से नियत वेतन पर नियोजित राज्य के लगभग 2.5 लाख प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के वेतन का ससमय एवं सुचारू रूप से भुगतान हेतु बैंकों के माध्यम से भुगतान की योजना लागू की जा रही है।

- बच्चों के शिक्षण की प्रगति तथा विद्यालय मूल्यांकन हेतु छात्र–छात्रा प्रगति पत्रक तथा विद्यालय प्रगति पत्रक आकर्षक तरीके से तैयार कर सभी विद्यालयों तक पहुंचाया गया है। बच्चों के प्रगति पत्रक में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के उद्देश्य से भाषा, गणित, समाज शास्त्र तथा बच्चों के अन्य विकास के मुद्दों पर कई प्रमुख Learning Milestones निर्धारित किये गये हैं जिसे अभिभावक के साथ भी बांटा जा सकेगा। इसी प्रकार विद्यालयों के प्रगति पत्रक के माध्यम से उनके गुणवत्ता की ग्रेडिंग भी की जायेगी। साथ–साथ अध्यापकों के लिए भी दक्षता प्रगति पत्रक तैयार किये गये हैं जिसे शीघ्र लागू किया जायेगा। प्रगति पत्रक से प्राप्त आंकड़ों को कम्प्यूटरीकृत करके शिक्षक, छात्रों के शिक्षण तथा विद्यालय की स्थिति के संबंध में ऑन–लाईन अनुश्रवण व्यवस्था कायम की जायेगी।

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून से समुदाय एवं विद्यालय शिक्षा समिति को अवगत कराने तथा विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार कानून के अनुरूप विकसित कराने हेतु "शिक्षा का हक अभियान" कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

- इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष में 76 हजार अतिरिक्त कक्षा निर्माण तथा लगभग दो हजार नये प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण पूरा कर लिया जा रहा है। ऐसा होने से न्यूनतम आधारभूत की स्थिति में भी सुधार होगा। इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किये गये शौचालय निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, रैम्प का निर्माण, हेडमास्टर कक्ष आदि सभी निर्माण कार्यों को अगले अकादमिक सत्र के पूर्व पूरा करा लिया जा रहा है।

- राज्य में पूर्व से कार्यरत दो लाख चौंतीस हजार से भी अधिक नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु ठोस कदम उठाये गये हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में प्रशिक्षणोपरांत ये शिक्षकगण सफल शिक्षण कराने के योग्य है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षक को विद्यालय में बनाये रखने की अनुमति नहीं है। इस आशय का निदेश शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

- विद्यालयों में गुवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सक्रिय संकुल समन्वयकों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा विभाग ने सबसे योग्य संकुल प्रभारी के चयन की मार्गदशिका तैयार की है और नये संकुल प्रभारियों का चयन भी हर हालत में अगले अकादमिक सत्र के काफी पहले पूरा कर लिया जायेगा। संकुल समन्वयक के साथ–साथ प्रखंड साधन समन्वयक तथा 52 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं 4 बी0एड0 कॉलेज भी प्रारंभ किये गये हैं तथा उनके संकाय सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सभी संभावनाओं से प्रशिक्षित किया जा रहा है। हर स्तर पर संकाय सदस्य एवं साधन व्यक्तियों की खोज एक प्रक्रिया से किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण से केवल उत्कृष्ट सेवाकर्मी ही जुड़ सकें। राज्य के संभावित 10 लाख शिक्षकों के लिए राज्य में 10 हजार अध्यापक शिक्षक तैयार करने की योजना बनायी गयी है और उस पर तीव्र गति से काम चल रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा उनके संकाय सदस्यों की मिशन गुणवत्ता कार्यक्रम में पूरी भाागीदारी होगी ताकि विद्यालय स्तर पर प्रत्येक बिन्दु पर गहराई से काम किया जा सके। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, 'प्रथम' तथा NCERT के सहयोग से काम किया जायेगा। अध्यापक शिक्षण में उत्कृष्टता स्थापित करने हेतु कई ठोस कदम उठाये गये हैं।

- विद्यालयों के संचालन का समय 9.00 बजे से 4.00 बजे तक किया गया है एवं 3.00 से 4.00 बजे के बीच ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष सहयोग की आवश्यकता हो उनके शिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

- सभी मध्य विद्यालयों की लड़कियों के लिए जूडो–कराटे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ताकि वे आत्म–रक्षा कर सकें। इससे विद्यालयों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। साथ–साथ सभी बच्चों के लिए खेल–कूद की व्यवस्था तथा अन्तर विद्यालीय खेल–कूद प्रतियोगिताओं की व्यवस्था भी की गयी है।

प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत (राज्य योजना) संचालित मुख्य योजनाएँ

मुख्यमंत्री पोशाक योजना

मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग III-V में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को ₹500/– नगद प्रदान किया जाता है। इस राशि से दो सेट स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ी जूते एवं राशि की बचत होने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र–छात्राओं/उनके माता पिता द्वारा किया जाता है। जो छात्र छात्राएँ पहले ही पोशाक तैयार करा लेते हैं, उन्हें भी पूरी राशि हस्तान्तरित की जाती है। यह योजना वर्श 2009–10 से संचालित है।

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

इस योजना अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग VI-VIII में नामांकित प्रत्येक छात्र–छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु ₹700/– की दर से नगद राशि विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। इस राशि से प्रत्येक छात्र–छात्रा को दो सेट स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ी जूते एवं राशि की बचत होने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र–छात्राओं/उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है। किसी छात्र–छात्रा द्वारा अगर इन

समाग्रियों का क्रय पहले ही कर लिया जाता है तो भी उन्हें पूरी राशि हस्तानान्तरित कर दी जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 से संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII में नामांकित 2,03,40,261 छात्र/छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत 1,71,72,840 छात्र/छात्राओं को ₹400/– की दर से पोशाक उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 31,67,421 छात्र/छात्राओं को (वर्ग I-II को ₹400/– की दर से एवं सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि का Top up 100/300 की दर से राशि) कुल ₹36036.86 लाख (तीन अरब साठ करोड़ छत्तीस लाख छियासी हजार रूपये) राज्य सरकार द्वारा पोशाक उपलब्ध कराने के लिए दिया जा रहा है।

शैक्षणिक परिभ्रमण

छात्र–छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्त्वपूर्ण स्थलों, धरोहरों एवं विरासतों की जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने शैक्षणिक परिभ्रमण की व्यवस्था की है। यह राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ज्ञानार्जन की दिशा में एक रचनात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयास है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विद्यालय की शिक्षा समिति के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹10,000/– की राशि हस्तान्तरित कर दी जाती है। विद्यालय शिक्षा समिति बैठक आयोजित कर छात्र–छात्राओं के समतुल्य अनुपात में चयन कर, उनकी योग्यता, अभिरूचि आदि के आधार पर शैक्षणिक परिभ्रमण प्रति वर्ष आयोजन करती है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना मद से इस योजना हेतु ₹2872.40 लाख जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

बिहार शैक्षणिक गुणवत्ता मिशन का गठन

शिक्षा विभाग देश के महत्त्वपूर्ण शिक्षाविदों के शोध एवं अन्य सुझावों को गहन अध्ययन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बच्चों के शिक्षण में सुधार एक अकादमिक सत्र में भी संभव है, यदि इस पर पूरी उर्जा लगायी जाए तथा एक व्यवस्थित तरीके से प्रत्येक शिक्षक तथा शिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक बच्चों तक पहुॅचने की कोशिश हो। वर्ष 2011 में शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के विद्यालयों में समझें–सीखें नाम से एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। उक्त कार्यक्रम में हर स्तर पर एक सफल विद्यालय तथा बच्चों तक शिक्षण गुणवत्तापूर्ण बनाने के कई सुझाव थे जिनपर कई विद्यालयों में आगं काम भी किया गया है। समझे–सीखे कार्यक्रम में विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम के अनिवार्य सूचक तैयार किये गये थे तथा विद्यालय के प्रमुख भागीदारों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण भी किया गया था, विशेष रूप से विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, बाल संसद, मीना मंच, विद्यालय शिक्षा समिति, पंचायत प्रतिनिधि, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 तथा बिहार शैक्षणिक गुणवत्तता मिशन के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये थे। वैसे तो समझे–सीखे कार्यक्रम में अच्छी सोच तथा विद्यालय स्तर के मानकों की पहचान भी की गयी थी, परन्तु सफलता के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता है अथवा विशेष प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की भी जो बजट आदि की व्यवस्था है उसकी चर्चा नहीं की गयी थी। साथ–साथ कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कालबद्धता एवं अनुश्रवण से बच्चों

के गुणवत्ता शिक्षण के आधार पर व्यवस्था नहीं थी। विद्यालयों का अनुश्रवण तथा प्रायः बच्चों तक की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

मिशन गुणवत्ता कार्यक्रम समझें–सीखें में प्रारंभ किये गये अच्छी गतिविधियों को कालबद्ध तरीके से तथा बच्चों के प्राथमिक शिक्षा में वांछित शैक्षिक स्तर प्राप्ति का सीधा मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। शोध का यह निष्कर्ष कि बच्चों को जोर–जोर से समझकर पढ़ने की परिपाटी में वृद्धि तथा बच्चों का प्रतिदिन कक्षावार बैठने की व्यवस्था को हटाकर निपुणता एवं दक्षता के आधार पर समूहीकरण कर भाषा और गणित पढ़ने की व्यवस्था कर बेहतर परिणाम की प्राप्ति संभव है। प्रथम संस्थान ने भी प्रयोग के तौर पर जहानाबाद जिला में प्रभारियों के माध्यम से उनका प्रशिक्षण कर विद्यालयों के प्रधानाध्ययापकों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा जोर–जोर से पढ़ने की परिपाटी को तेज करने एवं दक्षता आधारित समूहीकरण कर भाषा और गणित पढ़ाने की व्यवस्था के प्रयास किये हैं। इसके अच्छे परिणाम आयें हैं और इसे देखते हुए 'मिशन गुणवत्ता' कार्यक्रम के अंतर्गत इन संभावनाओं को भी ठोस रूप से आगे बढ़ाया जायेगा। इसी प्रकार भाषा शिक्षण के संबंध में भी समझदारी बढ़ाने की कोशिश की गयी और यह देखा गया कि यदि आंचलिक बोलियों में प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाए जो उन्हें औपचारिक हिन्दी भाषा समझने में भी सुविधा होगी। इसी उद्देश्य से आगामी अकादमिक सत्र के पूर्व मगही, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी जैसी भाषाओं में घर पर बोले जानेवाले शब्दों के आधार पर शब्द कोष आदि कक्षाओं के लिए तैयार किये जा रहें है। इनके उपयोग से बच्चों के अक्षर पहचान में सुविधा होगी। इसी प्रकार श्री धीर झिंगरन के शोध के आधार पर कक्षाओं के आयोजन में समझकर पढ़ने एवं लिखने की व्यवस्था को और मजबूत किया जायेगा। भाषा शिक्षण पर विशेष बल होगा चूँकि भाषा सीखने पर ही बच्चे गणित तथा समाज अध्ययन में निपुणता हासिल कर सकेंगें।

बिहार शैक्षणिक गुणवत्ता मिशन द्वारा किये गये मुख्य कार्य :

विद्यालयों का गहन अनुश्रवण :

मिशन द्वारा विद्यालयों का गहन अनुश्रवण किया गया तथा प्रधानाध्यापक, शिक्षकों, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों एवं बच्चों से मिलकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की गई। विद्यालय भ्रमण के दौरान बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों के सीखने–सिखाने में संलिप्तता, श्यामपट्ट का उपयोग जैसे महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की समीक्षा की गई तथा उनके आधार पर विद्यालयों, प्रखंडों एवं जिलों की ग्रेडिंग की गई। खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ राज्यस्तरीय बैठक कर उनका उन्मुखीकरण किया गया तथा आगे की रणनीति बनाई गई।

टेलीफोन के माध्यम से समन्वयकों/अधिकारियों का उन्मुखीकरण

राज्य के लगभग 4000 संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों, 600 प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा 100 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ टेलीफोन के माध्यम से संपर्क साध कर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय भ्रमण एवं विद्यालयों को अकादमिक सहयोग देने जैसे बिन्दुओं पर उन्मुखीकरण किया गया।

पंचायत प्रतिनिधियों (मुखियाजी) से सम्पर्क

राज्य के लगभग 300 पंचायतों के मुखिया जी से सम्पर्क कर विद्यालय के बच्चों की तरफ से चिट्ठी सौपी गई। पत्र भेजने का मुख्य उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को गुणवत्ता शिक्षा के प्रति उत्प्रेरित करना तथा पंचायत के विद्यालयीय व्यवस्था में अपनी भूमिका के प्रति सजग करना था।

यह पत्र बिहार शैक्षणिक गुणवत्ता मिशन के जिला समन्वयकों के माध्यम से भिजवाया गया ताकि वे मिशन के उद्देश्यों को भी मुखिया जी के साथ साझा कर उनकी प्रतिक्रिया जान सकें।

शिक्षण–सामग्रियों का विकास :

मिशन द्वारा शिक्षकों के लिए 'शिक्षण संदर्शिका' (वर्ग 1–5) तथा 'शिक्षक साथी' (वर्ग 6–7) के निर्माण में आवश्यक सहयोग दिया गया ताकि वर्ग–कक्ष के अन्दर तथा बाहरी गतिविधियों पर शिक्षकों के ज्ञान कौशल का विकास हो सके।

राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय का विकास

राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक ऐसे आदर्श विद्यालय के विकास की परिकल्पना की गई है, जो गुणवत्ता के सभी मानकों पर खरा उतरें तथा इसका साकारात्मक प्रभाव आस–पास के विद्यालयों पर भी पड़े। बेसलाइन सर्वे के आधार पर यह पाया गया कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ थोड़े प्रयास से कम समय में लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को गुणवत्ता के सभी मानकों पर तैयार करने हेतु चरणबद्ध तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा है।

बिहार बाल–भवन 'किलकारी'

बिहार सरकार ने 'किलकारी' बिहार बाल भवन की स्थापना मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा वर्ष 2008 में की। इसका पंजीकरण, समिति पंजीकरण एक्ट 21, 1860 के तहत 30 मई, 2008 को हुआ। 'किलकारी' कला, विज्ञान, खेल एवं व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही है।'किलकारी' का एक लक्ष्य है– मनोरंजक वातावरण में बच्चों को सृजनात्मक विकास का अवसर प्रदान करना।

वर्ष 2012–13 के सत्र में जनवरी माह तक 'किलकारी' बिहार बाल भवन में कुल 1731 बच्चे का विभिन्न गतिविधियों में नामांकन हुआ। 13 बाल केन्द्र से कुल 1685 बच्चे जुड़े हैं। चलंत पुस्तकालय से विद्यालयों एवं स्लम क्षेत्रों से कुल 1500 बच्चों का जुड़ाव है। बाल संसद से 2544 बच्चे जुड़े। इसके अतिरिक्त विभिन्न आयोजनों में 8500 बच्चों की भागीदारी रही है। इस प्रकार किलकारी द्वारा इस वर्ष अबतक कुल 15,960 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ बच्चों को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्ष 2012–13 में किलकारी की मुख्य गतिविधियाँः–

- **मास्क मेकिंग प्रशिक्षणः–** दिनांक 11 से 18 मार्च, 2012 तक मास्क मेकिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया।

- **माईम प्रशिक्षणः–** बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए माईम (मूकअभिनय) का अयोजन दिनांक 11 से 17 मार्च, 2012 तक सात दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 35 बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

- **जेंडर–सह–स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशालाः–** दिनांक 18 एवं 19 मई, 2012 को किलकारी के प्रशिक्षण हॉल में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला में 12–16 वर्ष के 60 बच्चों को ''पाथ फाइन्डर'' संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

- **कार्टून निर्माण कार्यशालाः**– दिनांक 01 जुलाई, 2012 को कार्टूनिस्ट श्री पवन जी के द्वारा बाल भवन एवं बाल केन्द्र के कुल 40 बच्चों की उपस्थिति में कार्टून कार्यशाला सम्पन्न की गयी।

- **नव वर्ष कार्ड मेकिंग कार्यशालाः**– दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 को कार्टूनिस्ट श्री पवन कुमार के निर्देशन में नव वर्ष कार्ड– 2013 का निर्माण किया गया जिसमें 40 बच्चों ने भाग लिया।

- **इंडियन बेस्ट ड्रामेवाज में बच्चों की सहभागिताः**– जी टी वी के एक रियलिटी इंडियन बेस्ट ड्रामेवाज के बिहार आडिशन में किलकारी के बच्चों की भी भागीदारी हुई। कुल 15 बच्चों का चयन किया गया जिसमें 08 बच्चें किलकारी के थे।

- **राष्ट्रीय चाइल्ड थियेटर फेस्टीवलः**– दिनांक 03 से 07 जनवरी, 2013 तक दूसरे राष्ट्रीय चाइल्ड थियेटर फेस्टीवल, गुवाहाटी (असम) में आयोलित पाँच दिवसीय नाट्य समारोह में किलकारी के 22 बच्चों ने अपने प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

- **नंदनगर स्लम में आयोजित समर कैम्पः**– दिनांक 29 मई से 07 जून, 2012 तक दस दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण समर कैम्प के रूप में बेघरों का नन्दनगर कॉलोनी, सैदपुर में सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में लगभग 75 बच्चों ने भाग लिया।

- **मॉडल निर्माणः**– मॉडल निर्माण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 02 से 09 जून, 2012 तक किया गया। इस मॉडल निर्माण प्रशिक्षण में बच्चों ने पिरामीड, केक, मंदिर, विश्वविद्यालय, कैम्पस, रोड रौलर, टेबुल, कुर्सी, घर आदि बनाना सीखा इस सम्पूर्ण प्रशिक्षण में कुल 25 बच्चों ने भाग लिया।

- **विज्ञान गतिविधिः**– इस बार के समर कैम्प में विज्ञान गतिविधि को विशेष रूप से फोकस किया गया। इस गतिविधि में विशेषकर साइंस में कुल 40 बच्चों ने विभिन्न सांइस गेम, प्रयोग आदि को जाना एवं सीखा।

- **बिहार बाल श्री सम्मान 2012**:– दिनांक 15.10.2012 को बिहार बाल श्री सम्मान–2012 प्रतियोगिता हेतु दो दिवसीय शिविर 'किलकारी' में सम्पन्न हुआ। इस चयन कार्यक्रम में पूरे राज्य के 31 जिलों से कुल 263 बच्चे शामिल हुए।

<u>प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत (केन्द्र प्रायोजित योजना) संचालित मुख्य योजना</u>

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

- सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
- बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV)
- मध्याह्न भोजन योजना (MDM)

<u>सर्व शिक्षा अभियान</u>

सर्व शिक्षा अभियान देश में प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सार्वजनीकरण हेतु एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है। राज्यों की भागीदारी से 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के

संवैधानिक दायित्व को पूरा करने का यह एक सामयिक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक विभेद को पाटकर प्रारंभिक शिक्षा को लोक–आधारित बनाते हुए एक मिशन के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गयी है। बिहार राज्य के 17 जिलों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2001–02 में लागू किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2002–03 से यह राज्य के सभी जिलों में लागू है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृत योजना के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2012 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नवत् है :–

वित्तीय उपलब्धि (वर्ष 2012–13)

(रूपये लाख में)

योजना	वार्षिक बजट (2012–13)	निधि प्राप्ति				कुल व्यय	उपलब्ध निधि के विरूद्ध प्रतिशत व्यय	वार्षिक बजट के विरूद्ध प्रतिशत व्यय
		13वीं वित्त आयोग	भारत सरकार	बिहार सरकार	कुल			
सर्व शिक्षा अभियान	1034945.86	81800.00	265098.12	187124.00	534022.12	402088.37	75%	39%
एन.पी.ई.जी.ई.एल.	4556.72	0.00	1646.87	738.18	2385.05	951.76	40%	21%
के.जी.बी.भी.	22012.94	0.00	5717.26	2610.82	8328.08	6405.23	77%	29%
कुल		81800.00	272462.25	190473.00	544735.25	409445.36	75%	

नोट– सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के तहत 13वीं वित्त आयोग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में क्रमशः ₹81800.00, ₹272462.25 एवं ₹190473.00 लाख उपलब्ध कराया गया है इसके अतिरिक्त बिहार शिक्षा परियोजना के पास 01.04.2012 को Opening Balance के रूप में ₹58295.34 लाख उपलब्ध था।

<u>सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण उपलब्धिः–</u>

- राज्य ने केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान–शिक्षा का अधिकार कार्यक्रम हेतु कुल ₹10615.16 करोड़ का बजट स्वीकृत कराने में सफलता पाई है, जो राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा।

- सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक कुल 21,419 प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 20,340 (95%) प्राथमिक विद्यालयों खोले जा चुके हैं एवं शेष विद्यालयों को शीघ्र खोल दिया जाएगा।

- सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के अब तक कुल 20,182 लक्ष्य के विरूद्ध 19,339 (96%) प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है एवं शेष विद्यालयों को शीघ्र उत्क्रमित किया जाएगा।

- 99% टोला/बसाव विद्यालयीय सुविधा से आच्छादित एवं 6–14 आयुवर्ग के लगभग 95% बच्चें सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के वर्ग 1 से 8 में नामांकित है। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वर्ष 2007–08 की तुलना में लगभग 30 लाख की वृद्धि हुई है।

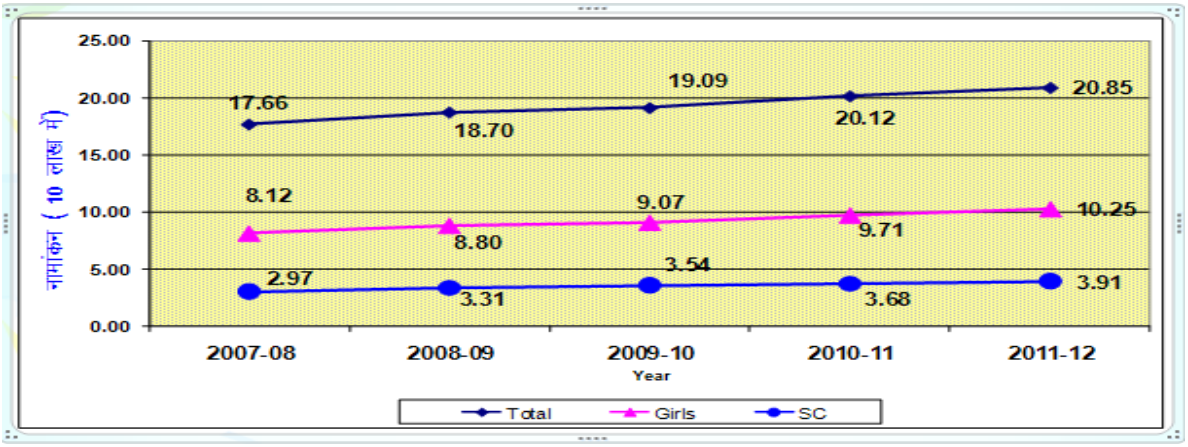

- 6–14 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चो को विद्यालय लाने में राज्य ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है एवं वर्तमान में लगभग 2 प्रतिशत बच्चे ही विद्यालय से बाहर रह गये है । विद्यालय से बाहर रह गये कठिन समूह के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

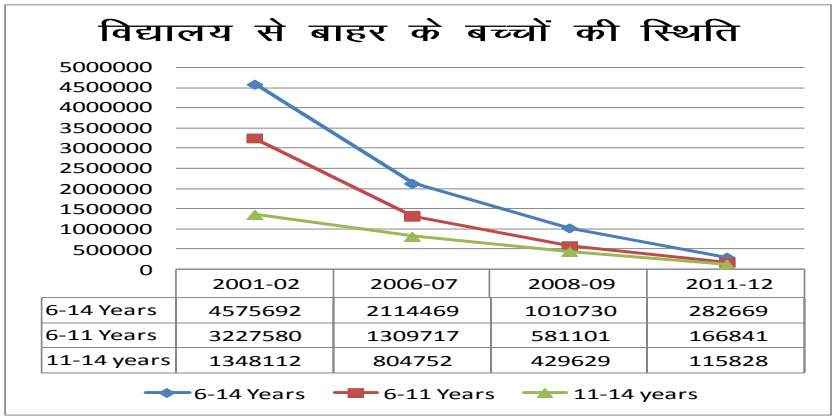

	2001-02	2006-07	2008-09	2011-12
6-14 Years	4575692	2114469	1010730	282669
6-11 Years	3227580	1309717	581101	166841
11-14 years	1348112	804752	429629	115828

- प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर में पहुचने वाले बच्चों के दर (Transition Rate) में काफी सुधार हुआ है एवं यह दर वर्ष 2007–08 में 65.60 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 78.42 हो गया है।

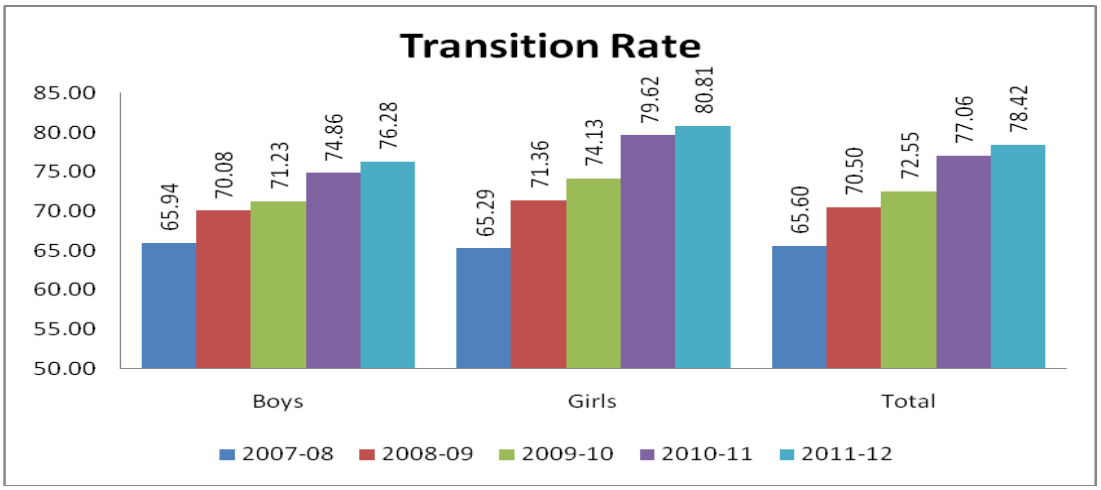

- शैक्षिक सत्र 2011–12 के तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 के लगभग 1,92,83,481 (93%) बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जा चुका है।

- छात्र–वर्ग कक्ष अनुपात (Student Classroom Ratio) को बेहतर करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत अबतक 1,56,178 वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा चुका है एवं 1,09,932 वर्ग कक्ष निर्माणाधीन हैं।

- वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में कुल 24,882 बालिका शौचालय की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके विरूद्ध 14,445 इकाई का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं 10,231 इकाई निर्माणाधीन है।

- छात्र–शिक्षक अनुपात को बेहतर करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत 89,429 प्रारंभिक एवं 46,635 उच्च प्राथमिक शिक्षक (विषय आधारित शिक्षक) के नियोजन की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

- सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ग 1 से 8 के सभी बालिकाओं तथा अनु0जाति/जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे के सभी बच्चों को पोशाक हेतु ₹400/– प्रति बच्चा की दर से राशि उपलब्ध कराया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में 21,323 श्रवण/अस्थि निःशक्त बच्चों की जाँच जिला स्तर पर की गई एवं 18,629 बच्चों को उनके जरूरत के अनुरूप सहाय्य उपकरण वितरित किया गया।

- राज्य में 1,690 संसाधन शिक्षक एवं पुर्नवास विशेषज्ञ जिला स्तर पर कार्यरत हैं जो विद्यालय स्तर पर निःशक्त बच्चों को तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान करते हैं।

- राज्य के विभिन्न जिलों में 70 संसाधन केन्द्र कार्यरत हैं जहाँ समुचित मात्रा में जाँच उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध है। इन संसाधन केन्द्रों के माध्यम से निःशक्त बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान किया जाता है।

- स्माईल ट्रेन, नई दिल्ली एवं परियोजना परिषद् के संयुक्त प्रयास से कटे तालु एवं कटे होठ वाले 6–14 आयुवर्ग के बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन राबिया बासिरी हॉस्पीटल, पटना में कराया गया है। अभी तक 150 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है एवं यह प्रक्रिया आने वाले वर्षो में भी जारी रहेगी।

- 2,263 निःशक्त बालिकाओं का नामांकन विभिन्न कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कराया गया है जहॉ प्रारंभिक स्तर की शिक्षा संसाधन शिक्षकों के माध्यम से उनके जरूरत के अनुरूप प्रदान की जा रही है।

- 2,600 श्रवण/अस्थि निःशक्त बच्चों को जिला स्तर पर उनके जरूरत के अनुरूप आवासीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र के सहयोग से राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों की GIS Mapping कराया जा रहा है एवं अभी तक 63,210 विद्यालयों की GIS Mapping का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु "समझें–सीखे" कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है।

- "चल पढ़ कुछ बन" नामक बच्चों का पाक्षिक अखबार के वितरण का विस्तार किया गया है एवं वर्तमान में राज्य के सभी प्रारम्भिक विद्यालयों को इसकी 25–25 प्रति उपलब्ध करायी जा रही है।

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु 'शिक्षा अधिकार यात्रा' के नाम से एक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाया गया है,

जिसके तहत 38 जिलों में 77 दलों द्वारा कुल 6,220 पंचायत आच्छादित किये जा चुके हैं।

<u>बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की उपलब्धियाँ :–</u>
<u>National Programme for the Education of Girls at Elementary Level (NPEGEL)</u>

बालिकाओं के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के आयोजन हेतु कुल स्वीकृत 3778 अतिरिक्त कक्ष के लक्ष्य के विरूद्ध 3295 अतिरिक्त कक्ष निर्माण किया जा चुका है तथा 268 कक्ष निर्माणाधीन है।

21238 संकुलों में मीना मंच का गठन किया जा चुका है।

'हुनर' कार्यक्रम के तहत समाज के कमजोर वर्ग की बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु विभिन्न ट्रेडों यथा – पोशाक निर्माण, ग्राम सखी, ब्यूटी कल्चर, बेसिक कम्प्यूटिंग, पूर्व बालपन शिक्षा, टाइपिंग, जूट उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, बुटिक, सेरि कल्चर, टाई एण्ड डाई आदि में प्रशिक्षित किया जाता है।

'हुनर–1' कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय की नामांकित 13768 बालिकाओं में से 11345 बालिकाएँ परीक्षा में सफल हुई।

हुनर प्रशिक्षित बालिकाओं को औजार किट के क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा ''औजार कार्यक्रम'' प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रति बालिका ₹2500/– की राशि उनके व्यक्तिगत खाते में अंतरित की जाती है।

हुनर–1 में उत्तीर्ण सभी 11345 बालिकाओं को औजार की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

हुनर–2 (चरण–1) में पंजीकृत अनु0जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय की 12252 बालिकाओं में से 8593 परीक्षा में सफल हुई, जिन्हें औजार राशि उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यालयों को निधि आवंटित की जा चुकी है।

हुनर–2 (चरण–2) की 37794 एवं हुनर–3 की 12525 बालिकाओं में से लगभग 10,000 बालिकाओं का प्रशिक्षण प्रगति पर है। शेष बालिकाओं का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है जिनकी उपलब्धता की स्थिति में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा।

<u>कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की उपलब्धियाँ :–</u>

वित्तीय वर्ष 2012–13 तक स्वीकृत 535 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में से 510 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित है एवं शेष विद्यालयों को यथाशीघ्र प्रारंभ कर दिया जायेगा।

राज्य में महिला समाख्या, विद्यालय शिक्षा समिति एवं सक्षम गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा क्रमशः 104, 320 एवं 86 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित है।

दिसम्बर, 2012 तक कुल 288 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं 190 भवन निर्माणाधीन हैं।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कुल 43,728 (अनुज्जाति–19,291 (44%), अनु॰ जनजाति–2,790 (6%), अन्य पिछड़ा वर्ग–13,633 (31%), मुस्लिम अल्पसंख्यक–5,225 (12%) एवं बी0 पी0 एल0– 2,789 (6%) बालिकाएँ नामांकित है।

मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्र एवं राज्य की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। अपने राज्य के सभी राजकीय, राजकीयकृत एवं अनुदानित प्रारंभिक विद्यालयों के साथ–साथ तालिमी मरकजों, मदरसों एवं शिक्षण केन्द्रों पर यह योजना कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का महती उद्देश्य प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अधिकाधिक बच्चों का नामांकन, उनका ठहराव सुनिश्चित करना तथा संभाव्य कुपोषण से उन्हें मुक्त रखना है।

1 जनवरी 2005 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय मदरसा, मकतब एवं संस्कृत विद्यालय में वर्ग I-V में पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्रा को गरमा गरम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

1 मार्च 2008 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा मकतब एवं संस्कृत विद्यालयमें वर्ग VI-VIII में पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्रा को गरमा गरम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से बाल श्रमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के लिये भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में कस्तुरवा गाँधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के लिये भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में कम से कम वर्ग I-V के 7556755 छात्र/छात्रा एवं VI-VIII के 2500000 छात्र/छात्राओं को सभी विद्यालय कार्य दिवस में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। उक्त लक्ष्य के आलोक में माह दिसम्बर 2012 तक मध्याह्न भोजन करने वाले वर्ग I-V के बच्चों की औसत उपस्थिति 9580246 एवं VI-VIII के बच्चों की औसत उपस्थिति 3142737 प्रतिदिन रहा है। औसत उपस्थिति की बढ़ोत्तरी को देखते हुये वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये वर्ग I-V के लिये 9580246 एवं VI-VIII के लिये 3142737 बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना केन्द्रांश मद में 140084.28 लाख एवं राज्यांश मद में 61869.55 लाख अनुमानित बजट प्राक्कलन किया गया है एवं गैर योजना मद हेतु 38113600 का अनुमानित बजट प्राक्कलन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में केन्द्रांश मद में 93622.90 लाख एवं राज्यांश मद में 30482.16 लाख का बजट प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। उक्त के आलोक में केन्द्रांश मद में 69402.83 लाख एवं राज्यांश मद में 22604.99 लाख माह जनवरी 2013 तक व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मद में 316.54 लाख व्यय संभावित है।

दैनिक मीनू निम्न प्रकार निर्धारित है :–

सोमवार	–	चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी।
मंगलवार	–	जीरा चावल, सोयाबीन आलू की सब्जी।
बुधवार	–	खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त), चोखा।
बृहस्पतिवार	–	चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी।
शुक्रवार	–	पुलाव, काबुली चना/लाल चना का छोला, हरा सलाद।

शनिवार – खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त), चोखा।

2. उक्त मीनू के माध्यम से राज्य के सभी बच्चों को निम्नलिखित प्रकार से कैलोरी–मात्रा, प्रोटीन तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है :–

क्रम	पोषण तालिका	प्राथमिक कक्षा (I-V) के लिए	उच्च प्राथमिक कक्षा (VI-VIII) के लिए
1	कैलोरी–मात्रा	450 कै0	700 कै0
2	प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
3	सूक्ष्म पोषक तत्व (Micro-nutrients)	आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन–ए आदि की पर्याप्त मात्रा।	

3. उक्त पौष्टिक तत्वों का भली–भाँति समावेशन हेतु प्रति छात्र/छात्रा निम्नांकित रूप से खाद्यान्न एवं राशि उपलब्ध कराया जाता है :–

क्रम	वर्ग	खाद्यान्न प्रति छात्र/छात्रा	परिवर्तन मूल्य प्रति छात्र/छात्रा
1	I-V	चावल 100 ग्राम	₹3.14
2	VI-VIII	चावल 150 ग्राम	₹4.65

4. उपर्युक्त मीनू का दृढ़ता से पालन किये जाने तथा मध्याह्न भोजन तैयार करने के क्रम में निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखने का निदेश दिया गया है:–

एगमार्क युक्त मसाला एवं आयोडिन नमक का ही उपयोग किया जाय।

खाद्य तेल के रूप में एगमार्क युक्त रिफाइन तेल/शुद्ध सरसो के तेल का ही उपयोग किया जाय।

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ताजा सब्जी जैसे– पालक, पत्ता गोभी, गोभी, नेनुआ, झिगनी, गाजर, मूली, ताजा हरा मटर, टमाटर, लाल साग, कद्दू, शलजम, भिन्डी, सहजन, बीन, बोरो, पत्तीदार सब्जियों इत्यादि का प्रतिदिन नियमित रूप से उपयोग किया जाय।

रसोईया–सह–सहायक द्वारा मध्याह्न भोजन तैयार करने के बाद इसे स्वयं/प्रभारी प्रधानाध्यापक/शिक्षा समिति के सचिव/सदस्य द्वारा चखने (Taste) के बाद ही बच्चों को खिलाया जाय।

सलाद के लिये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, चुकन्दर, प्याज, नींबू आदि का उपयोग किया जाय।

मध्याह्न भोजन तैयार करने के क्रम में गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाय।

5. उपर्युक्त भोजन की व्यवस्था सभी विद्यालयों/केन्द्रों पर प्रधानाध्यापक की देख–रेख में किया जाता है। भोजन तैयार करने हेतु प्रथम 25 बच्चों पर एक रसोईया–सह–सहायक रखने, पुनः 26–100 पर दूसरा रसोईया–सह–सहायक, 101–200 के बीच तीसरा, 201 से 300 के बीच चौथा, 301–400 के बीच पाँचवा तथा 401 से 500 या इससे अधिक बच्चों की संख्या पर अधिकत्तम छः रसोईया–सह–सहायक रखने का प्रावधान किया गया है। रसोईया–सह–सहायकों को एक वर्ष में दस माह कार्य करने हेतु ₹1000/-(एक हजार) का भुगतान प्रतिमाह किया जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना मासिक सूचना प्रणाली (MIS) के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ

(मासिक सूचना प्रणाली के माध्यम से किसी खास महीने का मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में जानकारी/सूचना प्राप्त किया जा सकता हैं।)

इन्टरनेट पर जाएँ→ Address bar→ में www.mdmsbihar.org टाईप करें→ अब ENTER बटन को दबायें→ आपके सामने स्क्रीन पर सूचना प्रणाली उपलब्ध है→ इस वेबपेज की दाहिनी ओर ऊपर अंकित MDMS Report for Public पर क्लिक करें→ एक वेबपेज आपके सामने खुलता है→ आवश्यकतानुसार मेनू को क्लिक करें उदाहरणस्वरूप School पर क्लिक करने से जिलों का नाम दिखता है (आप अपने जिले पर क्लिक करें)→ अब प्रखण्डों का नाम दिखता है (आप अपने प्रखण्ड के नाम पर क्लिक करें)→ विद्यालयों का नाम, नामांकन, स्कूल कार्य दिवसों की संख्याँ, लाभान्वित छात्रों की संख्याँ, विभिन्न व्यय, खाद्यान्न की उपलब्धता, राशि की उपलब्धता इत्यादि सूचना आपको उपलब्ध है।

मध्याह्न भोजन योजना IVRS (''दोपहर'') प्रणाली की महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ

इन्टरनेट पर जाएँ→ Address bar→ में→ www.dopahar.org टाईप करें→ एक वेबपेज आपके सामने खुलता है→ स्क्रीन पर दायें तरफ e-citizen का option दिखता है→ e-citizen option पर क्लिक करें→ पुनः एक वेबपेज आपके सामने खुलता है→ आप सुविधानुसार अपने जिला पर क्लिक करें→ अपने सुविधानुसार प्रखण्डों के नाम पर क्लिक करें→ सुविधानुसार प्रखण्ड के विद्यालय के नाम पर क्लिक करें→ इच्छित माह का नाम एवं तिथि पर क्लिक करें→ SHOW option पर क्लिक करें। आपके संबंधित विद्यालय का नाम, प्रधानाध्यापक का मोबाईल नम्बर, उस तिथि को उस विद्यालय में उपस्थित बच्चों की संख्या तथा मध्याह्न भोजन से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या स्पष्ट नजर आयेगा। जिस किसी विद्यालय द्वारा उस तिथि को Answer नहीं दिया गया है वह लाल रंग में **"Call not completed."** लिखा दिखेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उस तिथि को जब IVRS द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के मोबाईल पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने IVRS द्वारा किये गये प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है।

e-citizen option पर क्लिक करने के बाद नये वेबपेज में जिला, प्रखंडों को भरने के पश्चात् यदि आप विद्यालय के नाम पर क्लिक नहीं करके, SHOW बटन पर क्लिक करते हैं तो उस तिथि को उस प्रखंड के Answer दिये गये सभी विद्यालयों की सूची वेबपेज पर उपलब्ध होगी। उस वेबपेज में आपको विद्यालयों का नाम, प्रधानाध्यापकों का मोबाईल नम्बर, उस तिथि को संबंधित विद्यालय में उपस्थित बच्चों की संख्या तथा मध्याह्न भोजन से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या स्पष्ट दिखाई देगी।

उक्त प्रकार से प्राप्त सूचनाओं पर यदि आप पृच्छा अथवा शिकायत दर्ज करना चाहें, तो ऊपर अंकित प्रक्रिया में e-citizen option के बाद एक Contact option दिखाई पड़ेगा। Contact option पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात् Officer Contact option में आप मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार, पटना के पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर सकते हैं। District Programme Officers (MDM) option में आप जिलों के मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर एवं e-mail Id प्राप्त कर सकते हैं। District Education Officers option में आप जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर सकते हैं। School Contact option में आप सभी जिलों के प्रखंडों के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्रधानाध्यापकों का मोबाईल नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

जन शिक्षा

वित्तीय वर्ष 2012–13 के तहत संचालित कार्यक्रमः–

1. महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना

15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को प्रतिवर्ष बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से तथा 06–14 आयु वर्ग के उपरोक्त समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये राज्य में महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनावधि दिसम्बर, 2012 से दिसम्बर, 2013 होगी। इस योजना के लिये पूरी योजनावधि तक के लिये ₹20195.958 लाख (दो अरब एक करोड़ पंचानबे लाख पंचानबे हजार आठ सौ) मात्र एवं वित्तीय वर्ष– 2012–13 में ₹16713.09 (एक अरब सड़सठ करोड़ तेरह लाख नौ हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान योजनावधि में राज्य के 20 हजार महादलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय के टोलों एवं 10 हजार अल्पसंख्यक समुदाय के टोलों का आच्छादन किया जाना है।

इस योजना के अंतर्गत केन्द्रों पर संदर्भित समुदाय की 15–35 आयु वर्ग की असाक्षर महिलाओं को 20–20 की टोली में मात्र बुनियादी साक्षरता ही प्रदान नहीं की जायेगी वरन उन्हें विकासात्मक योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी तथा उन्हें विकासात्मक योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत संदर्भित समुदाय के 6–14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाने के साथ टोला सेवक द्वारा प्रतिदिन विद्यालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही, विद्यालय अवधि के पश्चात् टोला सेवक द्वारा उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. मुख्यमंत्री झुग्गी–झोपड़ी महिला साक्षरता योजना

राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री झुग्गी–झोपड़ी महिला साक्षरता योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ग की 2,54,495 महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से एवं 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिए कुल ₹7,91,14,770 लाख (सात करोड़ इकानवे लाख चौदह हजार सात सौ सत्तर रु0 मात्र) की लागत पर पूरी योजनावधि (फरवरी, 2013 से फरवरी, 2014) तक के लिए योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹7,91,14,770 लाख (सात करोड़ इकानवे लाख चौदह हजार सात सौ सत्तर रु0 मात्र) के सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति प्रदान की है यह कार्यक्रम 1 मई, 2013 से प्रारम्भ होना है।

3. प्रेरणा

राज्य योजनान्तर्गत बिहार राज्य के सभी जिलों में स्थापित केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उप कारा में संसीमित निरक्षर बंदियों को 280 साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से साक्षरता प्रदान करने हेतु कुल ₹50,94,000/– (पचास लाख चौरानबे हजार रु0) की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। केन्द्र का संचालन जनवरी, 2013 से होगा।

जन शिक्षा के अन्तर्गत संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना –

साक्षर भारत कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से बिहार के सभी 38 जिलों में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम 15+ आयु वर्ग के निरक्षरों को विशेषकर महिला निरक्षरों को साक्षर करने, उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। इसमें सम्पूर्ण कार्यक्रम व्यय का 75 प्रतिशत भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।

यह कार्यक्रम वर्ष 2009–10 में बिहार के 3 जिलों (भोजपुर, बेगूसराय एवं खगड़िया) में तथा वर्ष 2010–11 में राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है।

अभी तक भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹9005.96 लाख (नब्बे करोड़ पाँच लाख छियानबे हजार) विमुक्त किया गया है। जिसके संगत राज्यांश (25 प्रतिशत) ₹3001.98 लाख (तीस करोड़ एक लाख अन्ठानबे हजार) राज्य सरकार द्वारा विमुक्त कर दिया गया है।

भौतिक प्रगति– सभी जिलों का सर्वे करा लिया गया है । सर्वे डाटा का अपलोडिंग का कार्य अंतिम चरण में है। सभी जिलों में लोक शिक्षा समिति का गठन कर लिया गया है। सभी जिलों का सहायक चालू खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा, पटना में खोला गया है। प्रखण्डों एवं पंचायतों का खाता भी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा, पटना में खोला जा रहा है। अभी तक 8472 पंचायतों में से 8467 पंचायतों में कुल 16922 प्रेरकों का चयन कर लिया गया है। जिला, प्रखण्ड के स्तर पर मुख्य कार्यक्रम समन्वयक एवं पंचायत स्तर के प्रेरकों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी जिलों में पंचायत लोक शिक्षा केन्द्रों का प्रवेशिका उपलब्ध करा दिया गया है। 18 मार्च, 2012 में हुये एन0आई0ओ0एस0 द्वारा आयोजित बुनियादी साक्षरता महापरीक्षा में 38,91,886 नवसाक्षर परीक्षा में भाग लिये थे। वर्ष 2012–13 में भारत सरकार से द्वितीय किश्त की राशि की माँग की गयी है जो अभी तक प्रतिक्षित है।

माध्यमिक शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के साथ ही माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास एवं संख्यात्मक वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके साथ ही नामांकन दर में वृद्धि एवं छीजन दर में कमी आयेगी। परिणाम स्वरूप माध्यमिक शिक्षा में आधारभूत संरचना की अत्यधिक आवश्यकता है।

माध्यमिक शिक्षा वर्तमान स्थिति

राजकीय	–	68
अल्पसंख्यक	–	72
प्रोजेक्ट	–	250
राजकीयकृत	–	2536
उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय	–	966
राजकीय संस्कृत विद्यालय	–	11
कुल माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	–	3903

(ख) बच्चों की संख्या एवं नामांकन

(i) राज्य में 14–15 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या– 47,30,967

(ii) विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या – 22,78,498

(iii) छात्रों की संख्या– 12,17,697

(iv) छात्राओं की संख्या– 10,60,801

(ग) शैक्षिक स्थिति

(i) सकल नामांकन अनुपात	–	48.16
(ii) छात्र शिक्षक अनुपात	–	64:1
(iii) छात्र वर्ग–कक्ष अनुपात	–	105:1

माध्यमिक शिक्षा (राज्य योजना) के अन्तर्गत संचालित मुख्य योजनाएँ :–

- **मुख्यमंत्री साईकिल योजना**

वित्तीय वर्ष 2011–12 से राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/ संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र/छात्राओं के लिए ₹2500/– की दर से साईकिल क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना की राशि का वितरण भी शिविर लगाकर विद्यालय प्रबंध समिति, माननीय सांसद/विधायक/पार्षद/जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत मुखिया/ सदस्य, अभिभावक, ग्रामीणों एवं छात्र/छात्राओं की उपस्थिति में किया जाता है ताकि नगद राशि के वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।

मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना वर्ष 2007–08 से एवं मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना वर्ष 2009–10 से संचालित है। वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 तक इसे गैर योजना मद से संचालित किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 से यह राज्य योजना मद से संचालित हो रहा है।

मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के अन्तर्गत कक्षा 9वीं में पढ़नेवाले सभी छात्रों जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो को साईकिल क्रय करने हेतु प्रति छात्र ₹2500/– की दर से वितरण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹17457.95 लाख की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत कक्षा 9वीं में पढ़नेवाले सभी छात्रों जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो को साईकिल क्रय करने हेतु प्रति छात्रा ₹2500/– की दर से वितरण किया जाना है। वित्तीय वर्श 2012–13 में ₹16843.95 लाख की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

- **<u>शिक्षकों की नियुक्ति</u>**

शिक्षक एवं छात्र/छात्रा अनुपात राष्ट्रीय अनुपात स्तर पर लाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के तहत वर्तमान वित्तीय वर्श में 17583 माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन प्रक्रियाधीन है।

(+2) शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुनिश्चित करने हेतु 52345 शिक्षकों के पद का सृजन किया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन आगामी शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है।

- **<u>विद्यालय भवन निर्माण/उत्क्रमण (राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक एवं प्रोजेक्ट विद्यालय)</u>**

वित्तीय वर्षों 2005–12 तक राज्य के 2937 राजकीय/राजकीयकृत/ अल्पसंख्यक/प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक (+2) विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए अधिकांश विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण की राशि उपलब्ध करायी गयी थी।

विभिन्न वित्तीय वर्षों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि, जो विभागीय निदेश एवं ए.सी./डी.सी. विपत्र सामंजन के क्रम में चालान द्वारा संगत शीर्ष में जमा करा दी गयी है, को असैनिक कार्य हेतु पुनः 383 अपूर्ण उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं 163 नये उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के कार्य पूर्ण करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

- **<u>प्रमण्डलीय मुख्यालय में शिक्षा भवन</u>**

शिक्षा विभाग के पुनर्गठन के उपरांत राज्य के प्रमण्डलीय मुख्यालय/जिला मुख्यालय में शिक्षा भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके तहत पटना में शिक्षा भवन का निर्माण कराया जा चुका है। दरभंगा प्रमण्डल में शिक्षा भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम, लि0, पटना को वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹218.00 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

- **<u>मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना (छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण)</u>**

वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य में अवस्थित 2937 राजकीय/ राजकीयकृत/ अल्पसंख्यक/ प्रोजेक्ट विद्यालयों के साथ–साथ 523 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों अर्थात् कुल 3460 विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को परिदर्शन एवं ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु प्रति विद्यालय ₹10000.00 की दर से ₹346.00 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

- **<u>बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड</u>**

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान के तर्ज पर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड स्थापना की गयी है।

- **<u>मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना</u>**

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग–2 (BC-II) की छात्राओं को ₹10,000/– की राशि प्रति छात्रा को प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग–2 की छात्राओं में प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु ₹5,964.30 लाख की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है।

- **<u>बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना</u>**

राज्य में बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में वर्ग नवम् से +2 तक की कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रही प्रत्येक छात्रा का पोशाक क्रय हेतु प्रति छात्रा ₹1000/– की दर से दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

इसके लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹16989.73 लाख की राशि जिलों को आवंटित कर दी गयी है।

- **<u>केन्द्र प्रायोजित योजना (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत संचालित मुख्य योजना</u>**

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (R.M.S.A.)
- बालिका छात्रावास का निर्माण
- मॉडल स्कूल की स्थापना
- ICT@School Scheme

''बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्'' का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत दिनांक 09 फरवरी, 2010 को किया गया। समिति के मुख्य उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा सहायतित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तकनीकी शिक्षा (आई0सी0टी0) मॉडल स्कूल, बालिका छात्रावास, विशिष्ट आवश्यकता के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की (IEDSS), इन्सपायर (INSPIRE Award), माध्यमिक शिक्षा के छात्राओं हेतु प्रोत्साहन (Incentive to girls for Secondary Education) आदि योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन तथा अनुश्रवण करना है जिससे विद्यालयीय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

- **<u>राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान</u>**

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, इस कार्यक्रम का उद्धेश्य माध्यमिक शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना है एवं सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुकूल भौतिक सुविधाएँ, कर्मचारी तथा तय मानक के अनुसार उचित नियामक तंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नवत् मुख्य गतिविधियाँ संचालित की जा रही है:–

(क) **माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना विकास**

इस गतिविधि के तहत नये स्थापित विद्यालयों जहाँ सभी सुविधाओं सहित नये भवन निर्माण का प्रावधान है, वहीं वर्तमान विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष प्रयोगशाला, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट/क्राफ्ट/कल्चर कक्ष आदि निर्माण का प्रावधान है।

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमण:–

राज्य द्वारा सभी क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक केन्द्र से वर्ष 2009–10 में 350 विद्यालय वर्ष 2010–11 में 447 विद्यालय एवं वर्ष 2011–12 में 169 विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण कराया गया।

2. उच्च विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण :–

वर्ष 2010–11 में 443 उच्च विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके अन्तर्गत 1878 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 153 विज्ञान प्रयोगशाला एवं उपकरण, 392 कम्प्यूटर प्रयोगशाला, 260 पुस्तकालय, 151 शौचालय ब्लॉक एवं 8 विद्यालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु ₹15594.44 लाख स्वीकृत है।

वर्ष 2011–12 में 1095 उच्च विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके अन्तर्गत 3482 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 444 विज्ञान प्रयोगशाला एवं उपकरण, 990 कम्प्यूटर प्रयोगशाला, 1019 आर्ट/क्राफ्ट/कल्चर कक्ष, 562 पुस्तकालय, 459 शौचालय ब्लॉक एवं 20 विद्यालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु ₹37204.06 लाख स्वीकृत है, परन्तु इस मद में भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैर आवर्त्ती मद में किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी गई है।

अद्यतन प्रगति :–

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के 350 उत्क्रमित हुए विद्यालयों हेतु अब–तक कुल ₹14122.40 लाख प्राप्त हुए, जिसमें भौतिक निर्माण हेतु बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC) को ₹10170.14 लाख प्रदान किया गया है। निगम द्वारा भेजे गए नक्शे एवं प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है। निगम द्वारा 310 विद्यालयों के लिए निविदा जारी कर दिया गया है एवं इनमें से 275 विद्यालयों में कार्य जारी है।

- वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में उत्क्रमित विद्यालयों में वर्तमान सत्र से शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

- वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 447 विद्यालयों के निर्माण हेतु भारत सरकार से ₹12472.22 लाख निर्गत की गई है, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार की राशि मिलाकर कुल ₹16629.06 लाख बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को विमुक्त कर दी गई है। उक्त के आलोक में निगम द्वारा 428 विद्यालयों के लिए निविदा जारी कर दिया गया है एवं

इनमें से 68 विद्यालयों का Letter of Acceptance (LOA) भी जारी कर दिया गया है।

- वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा 169 विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु स्वीकृति दी गयी है, परन्तु बजट में 149 विद्यालयों के लिए ही राशि का प्रावधान किया गया है। 169 विद्यालयों के संदर्भ में भूमि की उपलब्धता की जांच कर ली गयी है एवं अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस मद में अभीतक कोई राशि प्राप्त नहीं है।

- इस तरह वर्ष 2009–10 से वर्ष 2011–12 को अवधि में स्वीकृत 966 उत्क्रमित विद्यालयों में से 751 के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा निविदा प्रकाशित की गई है एवं 275 में कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 45 पूर्ण हो चुके है एवं 67 में छत ढ़लाई स्तर तक कार्य सम्पन्न हो चुका है।

- उत्क्रमित 966 विद्यालयों में से 706 वर्ग संचालित है, जबकि 62 विद्यालय विवादित/समीक्षा अन्तर्गत है।

(ख) <u>विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति का क्षमता वर्द्धन :–</u>

बिहार में 3287 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अन्तर्गत 10–10 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित करने का प्रावधान हैः–

1. विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति सम्प्रति तदर्थ समिति के सदस्यों के क्षमता बर्द्धन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण माड्यूल तथा ट्रेनरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया है।

2. तत्काल विद्यालयों में तदर्थ समिति गठित है। अतः निर्णय लिया गया है कि तत्काल सभी विद्यालयों के तदर्थ समिति के सदस्यों का क्षमता वर्द्धन किया जायेगा। इसके लिए 200 मास्टर ट्रेनर जिलों के शिक्षकों में से तैयार किये गये है।

3. जिलो को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण जनवरी, 2012 में तथा तदर्थ समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण मार्च, 2012 तक कराया गया।

4. माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल 'पुस्तकालयम' अंतिम चरण में।

(ग) <u>शिक्षकों का प्रशिक्षण</u>

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण तालीम मॉड्यूल के अन्तर्गत Motivational प्रशिक्षण उत्प्रेरक अन्तर्गत विज्ञान शिक्षकों का प्रशिक्षण, भास्कर मॉडयूल अन्तर्गत गणित शिक्षकों का प्रशिक्षण एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से कराया गया एवं Bihar Language Initiative for Secondary School (BLISS) प्रोजेक्ट के तहत अंग्रेजी शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया गया।

(घ) <u>योजना निर्माण</u>

- प्रत्येक वर्ष प्रक्रियाबद्ध तरीके से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) निर्माण हेतु माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (SEMIS) स्थापित की गई, जिसके अन्तर्गत सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से डाटा कैप्चर फार्मेट (DCF) द्वारा प्राप्त आँकड़े की व्याख्या, सारणीयन, विश्लेषण और इस प्रकार एकत्र आंकड़ों की व्याख्या एंव स्थिति की रिपोर्ट जो सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए अध्ययन किया जाता है

एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए योजना एवं प्रबंधन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।

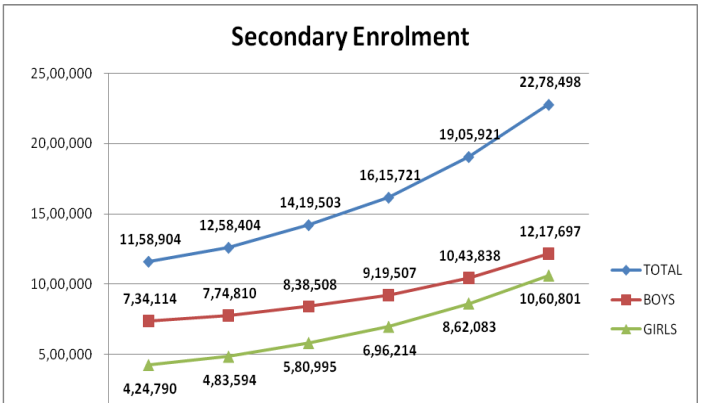

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
TOTAL	11,58,90	12,58,40	14,19,50	16,15,72	19,05,92	22,78,49
BOYS	7,34,114	7,74,810	8,38,508	9,19,507	10,43,83	12,17,69
GIRLS	4,24,790	4,83,594	5,80,995	6,96,214	8,62,083	10,60,80

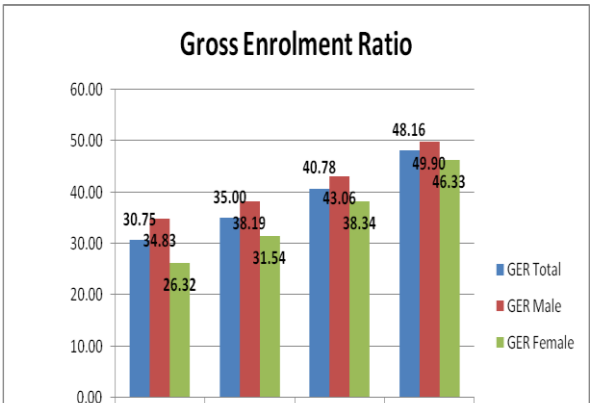

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
GER Total	30.75	35.00	40.78	48.16
GER Male	34.83	38.19	43.06	49.90
GER Female	26.32	31.54	38.34	46.33

माध्यमिक शिक्षा के लिए वर्ष 2008–09 में कुल नामांकन 1419503 था, वहीं वर्ष 2011–12 में 2278498 हो गया है। इसमें वर्ष 2008–09 में छात्राओं का नामांकन 580995 था, जो वर्ष 2011–12 में 1060801 हो गया है। इसी तरह Gross Enrolment Ratio (GER) में वर्ष 2008–09 में 30.75 था, जो वर्ष 2011–12 में 48.16 हो गया है। वर्ष 2008–09 में छात्राओं का GER 31.54 था जो वर्ष 2011–12 में 46.33 हो गया है।

- बिहार में वर्ष 2009–10 से प्रत्येक वर्ष SEMIS के तहत विद्यालयों से सूचना का संग्रहण किया जाता है तथा 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 का SEMIS संबंधित कार्य पूर्ण हो चुका है।

- SEMIS के आधार पर वर्ष 2009–10 से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार किया जा रहा है।

वर्ष 2010–11

क्रम	विवरण	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	विद्यालय वार्षिक अनुदान	2937	1468.50	1980	742.6
2	लघु मरम्मति	2794	698.50	709	132.86
3	शिक्षकों का सेवा कालीन प्रशिक्षण	13286	132.86	1170	3.51

वर्ष 2011–12

क्रम	विवरण	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	विद्यालय वार्षिक अनुदान	3287	1643.5	2830	1672.12
2	लघु मरम्मति	2726	681.5	2540	703.35
3	शिक्षकों का सेवा कालीन प्रशिक्षण	24711	370.67	2655	38.18

वर्ष 2012–13

क्रम	विवरण	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	विद्यालय वार्षिक अनुदान	3903	1951.5	केन्द्र सरकार से जनवरी, 2013 से निधि प्राप्त होने के कारण जिलो को निधि जनवरी, 2013 में प्रेषित की गई है। अतएव सम्यक उपलब्धि प्रतिवेदित नहीं है।	
2	लघु मरम्मति	2726	681.5		
3	प्रधानाध्यापकों का सेवा कालीन प्रशिक्षण	3734	44.808		
4	शिक्षकों का सेवा कालीन प्रशिक्षण	23844	357.66		
5	नये शिक्षकों का प्रेरक प्रशिक्षण	5627	168.81		
6	SMDC training	11748	70.49		
7	शैक्षणिक परिभ्रमण अन्तर– जिला	264782	529.56		
8	शैक्षणिक परिभ्रमण अन्तर–राज्यीय	31773	635.46		

4	SMDC training	32870	197.22	1182	1.65
5	शैक्षणिक परिभ्रमण अन्तर–राज्यीय	89210	178.42	29710	74.77

9	नये शिक्षक/ प्रयोगशाला सहायक/ कार्यालय सहायक का वेतन	8525	2383.62
10	प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास	10	10.00
11	मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	1000	15.00

- वर्ष 2013–14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में ही ICT@School, IEDSS (माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा), बालिका छात्रावास एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण योजनाओं को समाहित कर एकीकृत योजना का निर्माण करने का निर्देश दिया गया है, जिसके कारण गतिविधियाँ अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित की जा सके। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत योजना के निर्माण हेतु दिशा–निर्देश भी एक पुस्तिका के रूप में संकलित कर किया गया हैं। ("Framework For Preparing Integrated Annual Work Plan for RMSA, ICT@School, IEDSS, Construction & Running of Girls Hostel, Vocationalisation of Higher Secondary Education.")

इस योजना के निर्माण हेतु प्रेषित मार्गदर्शिका के अनुसार योजना प्रक्रियागत तरीके से पूर्ण की जानी है एवं इसका प्रारम्भ प्रत्येक स्कूल का "School Improvement Plan" तैयार कर उसका समेकित जिला वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के रूप किया जाना है। जिला स्तर पर सरकारी एवं गैरसरकारी सदस्यों को प्रतिनिधित्व देते हुए कोर दल तथा जिला योजना दल का भी गठन किया जाना चाहिए।

2. **बालिका छात्रावास योजना**

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत बालिका छात्रावास का निर्माण एवं संचालन कराना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के बालिकाओं को अध्ययन जारी रखने का अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक छात्रावास में 100 छात्राओं के आवासन की सुविधा होगी। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 91 एवं वर्ष 2010–11 में 166 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं।

भारत सरकार से इस हेतु ₹5935.00 लाख प्राप्त हुए है, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार की राशि सम्मिलित कर कुल ₹6594.47 लाख बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC) जो निर्माण कार्य हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में चिन्हित की गई, को बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु विमुक्त कर दिया गया है। 81 छात्रावास हेतु निविदा प्रकाशित की गई है, जिसमें से 30 छात्रावासों के लिए Letter of Acceptance (LOA) भी जारी कर दिया गया है। BSEIDC द्वारा वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 166 छात्रावासों के निविदा प्रकाशन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

3. <u>मॉडल स्कूल योजना</u>

केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर सभी मॉडल विद्यालय का विकास चरणबद्ध तरीके राज्य के सभी शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखण्ड में मॉडल विद्यालय का विकास किया जायेगा। विद्यालय की स्थापना हेतु न्यूनतम 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, पर बिहार को न्यूनतम 3.5 एकड़ जमीन

होने पर भी विद्यालय की स्थापना हेतु छूट दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 105 एवं वर्ष 2010–11 में 263 मॉडल विद्यालय स्वीकृत किये गये है, जबकि 122 मॉडल विद्यालय की स्थापना बुनियादी विद्यालय के प्रांगण की जा रही है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को मॉडल स्कूल के निर्माण हेतु नोडल एजेन्सी चयनित किया गया है।

भारत सरकार से इस हेतु ₹42421.00 लाख प्राप्त हुए है, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार की राशि सम्मिलित कर कुल ₹42330.17 लाख BSEIDC (Nodal Agency) को मॉडल स्कूल के निर्माण हेतु विमुक्त कर दिया गया है। वर्ष 2009–10 में 105 स्वीकृत विद्यालयों के आलोक में 98 विद्यालयों के लिए निविदा जारी की गई है, जिसमें से 63 विद्यालयों हेतु Letter of Acceptance (LOA) भी जारी कर दिया गया है। BSEIDC द्वारा वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 263 विद्यालयों के निविदा प्रकाशन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

4. ICT@School Scheme

ICT@School केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्य से भी निश्चित अनुपात में वित्तीय सहयोग दिया जाता है। इस योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर आधारित अधिगम का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रथम चरण :–

1000 विद्यालयों में ICT@School योजना का कार्यान्वयन बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराया जा रहा है। अबतक बेल्ट्रॉन को निम्न राशि उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य योजना से	**–**	**राशि (लाख में)**
उच्च माध्यमिक सुदृढ़ीकरण योजना के तहत		
2005–06	–	1700.00
2006–07	–	8500.00
2007–08	–	257.985
ICT@School योजना के तहत		
2006–07	–	300.00
2007–08	–	1333.33

प्रथम चरण में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरशन लिमिटेड, पटना को 1000 विद्यालयों में योजना संचालन के लिए अधिकृत किया गया है।

1. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरशन द्वारा चिन्हित एजेन्सी NIIT द्वारा 2008 में प्रारंभ किये गये 400 विद्यालयों में योजना की निर्धारित अवधि तीन वर्ष मार्च, 2012 तक पूर्ण हो चुका हैं। इस संबंध में विद्यालय में इस योजना के तहत प्रशिक्षित शिक्षक को प्रधानाध्यापक द्वारा चिन्हित करा कर योजना संचालन के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

2. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरशन द्वारा चिन्हित एजेन्सी M/s Educomp Solution Ltd द्वारा 2010 में 600 विद्यालयों में योजना प्रारंभ की गयी।

द्वितीय चरण :–

1. द्वितीय चरण में 1000 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT@School Scheme के योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम को प्राधिकृत किया गया। बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन द्वारा 1000 विद्यालयों में योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

2. इस योजना हेतु ₹13.33 करोड़ की राशि BSEIDC (Nodal Agency) को प्रेषित कर दिया गया, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। कुल ₹10466.37 लाख राशि वर्तमान एवं आगामी वर्षो में योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है। माँग पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा रहा है।

5. माध्यमिक स्तर पर निःशक्त बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा (IEDSS)

- 14–18 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चों की पहचान एंव मूल्यांकन कराना।
- चिह्नित बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित कराना।
- मूल्यांकनोपरान्त आवश्यक सहाय्य एवं उपकरण तथा शिक्षण एवं शिक्षण सहाय्य सामग्री उपलब्ध कराना।
- विद्यालय के भौतिक वातावरण एवं शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को विशेष आवश्यकतावालें बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना।
- 14 वर्ष (आठवीं कक्षा उर्त्तीण) अथवा उससे ऊपर के सभी निःशक्त बच्चों को 12वीं (उच्चतर माध्यमिक) स्तर की गुणवत्तापूर्ण एवं जीवनोपयोगी शिक्षा सुनिश्चित कराना।

वर्ष 2012–13 हेतु Semis Data से प्राप्त निःशक्त बच्चों की कोटिवार/वर्गवार संख्या जिलों को उपलब्ध करा दी गई है एवं उन्हें इस संख्या को विद्यालय से संपुष्ट कराने हेतु निदेशित किया गया है ताकि सूची को अंतिम रूप दिया जा सके। इसके लिए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय से एक–एक शिक्षक को इस कार्यक्रम हेतु चिन्हित करने के लिए निदेशित किया गया है। जिलास्तरीय कोर ग्रुप में दो सेवानिवृत्त शिक्षक को भी सदस्य के रूप में रखने का निदेश दिया गया है, जो इस कार्यक्रम के नोडल कर्मी के रूप में कार्य करेंगे।

6. इन्स्पायर अवार्ड

यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित है। दिनांक 21–23 अक्तूबर, 2012 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रदर्श प्रतियोगिता में बिहार राज्य से कुल 73 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें से आलोक कुमार शर्मा, एम0एम0के0जी0 उच्च विद्यालय, चानन, जिला– बॉका को ''**स्वर्ण पदक**'' प्राप्त हुआ, सुश्री शोभा कुमारी, उच्च विद्यालय शिवाजी नगर, समस्तीपुर को ''**क्षेत्रीय प्रथम पुरस्कार**'' एवं श्री रवि रंजन कुमार, के0बी0 सहाय उच्च विद्यालय, पटना तथा श्री अंकित लाभ, राज उच्च विद्यालय, दरभंगा को क्रमशः राज्य का प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

7. वर्ष 2013–14 हेतु संभावित गतिविधियॉ एवं बजट

(क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

क्रम	विवरणी	राशि (लाख में)
1.	नवनियुक्त शिक्षकों, प्रधानाध्यापक, प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय सहायक आदि वेतन हेतु मद (भौतिक–15780)	183338.48
2.	वार्षिक अनुदान एवं लघु मरम्मति मद (3903 विद्यालय एवं 2726 विद्यालय)	2633.00
3.	शिक्षकों/प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षण	721.56
4.	राज्य/राज्य से बाहर छात्रों का परिभ्रमण	1165.02
5.	विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण	70.49
6.	असैनिक कार्य	21404.04
(ख)	ICT@School	2700.00
(ग)	Model School	50391.72
(घ)	Girls Hostel	19431.98

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

''बिहार विद्यालय परीक्षा समिति'' बिहार राज्य में शिक्षा के विशाल वृक्ष की जड़ों को पोषित करने का कार्य करती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना बिहार अधिनियम 7 की धारा–3 के अन्तर्गत 1952 में हुई, उस समय यह कदमकुँआ के एक छोटे से मकान में अवस्थित थी, जो अब एक व्यापक रूप में फ्रेजर रोड से जुड़े सिन्हा लाईब्रेरी रोड पर स्वर्गीय डॉ0 सच्चिदानन्द सिन्हा के विशाल भवन में अवस्थित है। डॉ0 सिन्हा की परिष्कृत अभिरूचि एवं सादगी की प्रतीक इस मकान के रचनात्मक आयामों में बिना किसी परिवर्तन के समिति द्वारा इसे भव्य रूप प्रदान किया गया है। भवन की भव्यता में उत्तरोत्तर विकास के साथ–साथ समिति परिसर में समृद्ध बागबानी और वृक्षारोपण के जरिए पुष्पित और पल्लवित करने का सफल प्रयास किया गया है।

इस संस्था का प्रतीक चिह्न एक सम्पूर्ण इंसान के हाथों में शास्त्र और पीठ पर धनुष वाण के साथ सिद्धान्त वाक्य ''अग्रतः सकलं शास्त्रं पृष्टतः सशरं धनु'' रूपायित है। अर्थ यह कि संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाय, जो शारीरिक रूप से सुगठित और मानसिक रूप से ज्ञानी हों, बल के साथ ज्ञान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहें।

कार्य और जिम्मेवारियाँ

पूर्व से समिति का कार्य था दसवीं कक्षा की परीक्षाएँ लेना। अप्रैल 2007 में बिहार इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद को भंग करके बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंप दी गई। इसके अतिरिक्त समिति प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा एवं शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा भी आयोजित करने के लिए अधिकृत है।

इन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारियों के निर्वहन के क्रम में समिति कई कार्यों को सम्पादित करती है। जैसेः–

(क) परीक्षार्थियों के लिए स्वच्छ शैक्षिक वातावरण का निर्माण।

(ख) कदाचार एवं तनावमुक्त परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक उपाय।

(ग) विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला का आयोजन।

(घ) पाठ्यक्रम समिति का गठन आदि।

(ङ) अब समिति के दो प्रभाग हैं। माध्यमिक प्रभाग एवं उच्च माध्यमिक प्रभाग। दोनों की शैक्षणिक गतिविधियाँ तथा परीक्षा प्रणाली को संचालित करने एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य समिति के जिम्मे है। माध्यमिक परीक्षा एवं इण्टर परीक्षा के लिए पंजीयन प्रणाली में उत्तरोत्तर सुधार के उद्धेश्य से OMR फार्म के माध्यम से विद्यार्थियों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर डाटा तैयार करने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से पंजीकृत परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्रादि में त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी।

(च) समिति की क्रिया–कलापों को पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

(छ) विगत वर्षो में सम्पन्न COBSE सम्मेलन में परिचर्चा के दौरान निर्णय के परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा में सुधार एवं आर्कषक बनाने के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

(ज) ई0 बैंकिंग द्वारा छात्रों से परीक्षाफल, स्क्रूटनी हेतु आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था वर्ष– 2010 से आरम्भ की गयी है। इस व्यवस्था से छात्रों ने अपने–अपने जिला के बैंक में आवेदन दिये हैं। इस कार्य के लिए पटना आने–जाने के क्रम में अनेकों परेशानियों से छात्रों को राहत मिली है।

(झ) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2011 से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के कोर बैंकिंग शाखाओं के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट्स के स्थान पर चालान के द्वारा सीधे विकेन्द्रीकृत रूप से परीक्षा शुल्क एवं पंजीयन शुल्क भी जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे कि छात्रों/शिक्षकों को पटना आकर परीक्षा/पंजीयन शुल्क जमा नहीं करना पड़े।

(ठ) वर्ष 2007 से माध्यमिक परीक्षा का पैटर्न सी0बी0एस0सी0 द्वारा लागू पैटर्न पर आधारित कर दिया गया है। ग्यारह पत्रों की परीक्षा के स्थान पर अब मात्र छः पत्रों की परीक्षा ली जा रही है एवं प्रश्न पत्रों के चार सेट तैयार किए जाते हैं। निर्धारित परीक्षा अवधि के अतिरिक्त प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया जाता है।

(ड) वर्षो से समिति में मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र तो कम्प्यूटरीकृत दिए जाते थे परन्तु द्वितीयक प्रमाण पत्र हस्तलिखित दिये जाने की व्यवस्था थी, अब वर्ष 1999 से प्रमाण पत्र तथा 2006 से अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण–पत्र एवं प्रबजन प्रमाण पत्र कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित कर दिए जाते हैं।

(ढ़) त्रुटिहीन प्रमाण पत्र मुद्रित करने के लिए पंजीयन की व्यवस्था अब ओ0एम0आर0 फार्म के माध्यम से करायी जाती है।

(ण) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए सूचीकरण पुनः 2013 की परीक्षा से शुरू किया गया है। छात्र नये पंजीयन के आधार पर ही इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उससे परीक्षार्थियों की सही संख्या की जानकारी के साथ उनके डपहतंजपवद को रोकने में मदद मिलेगीं।

(थ) समिति परिसर में एक गेस्ट हाउस तथा एक कांफ्रेंस हॉल का निर्माण कराया गया है ताकि समिति में शैक्षणिक कार्यकलाप बढ़े एवं समय–समय पर आयोजित शैक्षिक कार्यशालाओं में भाग लेने वाले शिक्षाविदों एवं अन्य प्रतिभागियों के आवासन की समुचित सुविधा समिति स्वंय के परिसर में कर सके।

(द) समिति के माध्यमिक प्रभाग के पूछताछ काउन्टर को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

(ध) उच्च माध्यमिक प्रभाग में परीक्षार्थियों/अभिभावकों को परिसर में बैठने के लिए सुविधायुक्त सेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही काउन्टर का भी विस्तारीकरण किया जा रहा है।

(न) समिति के क्रियाकलाप को पूर्णरूपेन कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इसके तहत सभी Commissionary में एक सहायता केन्द्र बनाने की योजना तैयार की गयी है ताकि परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों को अनावश्यक रूप से समिति मुख्यालय नहीं आना पड़े।

(प) बिहार भारतवर्ष का पहला राज्य है जहाँ छात्र/छात्राओं के बेहतर हित के उद्देश्य से इन्टरमीडिएट परीक्षा में केवल विज्ञान एवं वाणिज्य दोनों संकायों के वैकल्पिक विषयों में OMR प्रणाली लागू किया गया है। इससे दोनों संकाय के छात्र/छात्राएँ काफी लाभान्वित हो रहे हैं।

(फ) समिति के दोनो प्रभागों के पदा0/कर्म0 के द्वारा किए गये विशिष्ट कार्यों एवं कार्यदक्षता के आलोक में प्रोत्साहित करने हेतु पदा0/कर्म0 को लेपटॉप एवं चतुर्थवर्गीय कर्मीयों को निर्धारित राशि पारितोषिक के रूप में पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है।

(व) समिति परिसर में कैन्टीन का निर्माण कराया गया है।

देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद की जयन्ती के अवसर पर प्रति वर्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर समिति उस वर्ष के मेघावी परीक्षार्थियों को उत्कृष्ट अंक पाने के उपलक्ष्य में मेडल एवं उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र से पुरस्कृत करती है। इस परम्परा के अन्तर्गत जिला स्तरीय सर्वोत्तम परीक्षाफल प्रदर्शन करने वाले विद्यालय प्रधान एवं स्वच्छ कदाचार रहित शान्तिपूर्ण वातावरण में उत्कृष्टता पूर्वक परीक्षा संचालन करने वाले 10 जिला पदाधिकारियों/जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया जाता है। विगत वर्ष 2009 से इन्टरमीडिएट परीक्षा के तीनों संकायों के उत्कृष्ट अंक पाने वाले परीक्षार्थियों को भी उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र से पुरस्कृत किया जाता रहा है।

समिति निर्णयानुसार इस वर्ष 2012 में माध्यमिक स्तर के सभी द्वितीय से दसवीं स्थान पानेवाले मेधावी छात्र/छात्रा को दस–दस हजार रूपये एवं प्रथम स्थान पाने वाले छात्र/छात्रा को पन्द्रह–पन्द्रह हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा इन्टरमीडिएट स्तर के तीनों संकायों के पाँचवें Rank तक के एवं (मेधावी) छात्र/छात्रा को पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पुरस्कृत क्रम में दोनों प्रभागों के चयनित मेधावी छात्र/छात्राओं को एक–एक लैपटॉप भी प्रदान की गयी। यह सुविधा व्यावसायिक कोर्स में टाँप करने वाले छात्र–छात्राओं को भी वर्ष–2013 से दी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमः–

समिति के माध्यमिक प्रभाग के मुख्य भवन के निचले तल्ले को आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

कम्प्यूटरीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि छात्रों को ससमय प्रमाण पत्र अंक कम्प्यूटर से मुद्रित होकर प्राप्त हो सके।

विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल पैदा करने के उद्देश्य से समय–समय पर सेमिनार तथा शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित करने का भी प्रस्ताव है ।

शैक्षणिक सलाहकार समिति का गठन 2012 में किया गया है, जिसकी पहली बैठक इसी वर्ष आयोजित की गयी थी। इसमें बोर्ड के विभिन्न शैक्षणिक कार्यकलापों पर चर्चा कर दिशा निर्देश तैयार किया जाता है, ताकि बोर्ड कारगर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके।

छात्र/छात्राओं को 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा हेतु ऑन लाईन ओ0एम0आर0 फार्म भरने के संबंध में भी समिति की योजना है।

राज्य सरकार/शिक्षा विभाग के आदेशानुसार दक्षता परीक्षा का सफल संचालन कर परीक्षाफल का निस्तारण किया गया है।

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा– 2013 एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा–2013 हेतु परीक्षार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसके अनुसार वर्ष –2013 में दोनों प्रभाग मिलाकर लगभग 22,00,000 (बाईस लाख) परीक्षार्थियों का परीक्षा संचालन किया जाना है।

M.N.R.E. भारत सरकार, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं बोर्ड के सहयोग से बिहार के सभी माध्यमिक +2 विद्यालयों में 2 K.W. के Solar Sistem उपलब्ध कराने की योजना है। जिसके तहत सभी विद्यालयों की कम्प्यूटर इन्टरनेट के माध्यम से बोर्ड से जोड़ने की योजना पर कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड के दोनों प्रभागों में भी 30–30 K.W. का solar power लगाने की योजना अंतिम चरण में है। भविष्य में बननेवाले 9 Examination

Hall में भी, प्रत्येक में 50 K.W. का solar power की व्यवस्था की जायेगी। पूरा Project ₹237.00 करोड़ का है।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा सत्र–2011–12 की विशेष परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दोनों प्रभाग की क्रिया–कलापों में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर है। समय–समय पर राज्य सरकार/ शिक्षा विभाग के निर्देश एवं समसामयिक तकनीकी जरूरतों को ध्यान रखते हुए कार्यों का त्वरित सम्पादन कराया जाता है।

समिति के अभिलेख का डिजिटलाईजेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें डाटा इंट्री के मद में ₹105,00000/– (एक करोड़ पाँच लाख), टी0 आर0 के स्केनिंग के मद में ₹725,000/– (सात लाख पचीस हजार) तथा सॉफ्टवेयर विकसित करने के मद में ₹625,000/– (छः लाख पचीस हजार) खर्च होने की सम्भावना है।

समिति में एक नया वज्रगृह बनाने की योजना है, जिसका प्राक्कलन ₹376,29000/– (तीन करोड़ छियत्तर लाख उनत्तीस हजार रूपया) मात्र है।

समिति के मुख्य भवन के ऊपरी तल्ले का फर्श एवं विद्युतीकरण करने की योजना है, जिसमें क्रमशः ₹6362000/– (तिरसठ लाख वासठ हजार) तथा ₹3249186/– (वत्तीस लाख उन्चास हजार एक सौ छियासी रूपये) खर्च होने का अनुमान है।

समिति के उच्च माध्यमिक प्रभाग में भी पूरे भवन के Bath rooms एवं Drainage System को ठीक किया जा रहा है। इसके पूरा होने के उपरान्त पूरी Building में लगे पत्थरों का Policing कराने की योजना है।

भंग उच्च माध्यमिक प्रभाग में कार्यरत सामंजन योग तमाम कर्मचारियों को 2012 में सांमजित किया जा चुका है।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0ई0आर0टी0), नई दिल्ली, के अनुरूप शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की राज्य स्तरीय संस्था राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, (एस0सी0ई0आर0टी0) बिहार, विद्यालयीय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। शैक्षिक विकास की दौड़ में राज्य को प्रतिस्थापित करने, विद्यालयीय शिक्षा को ठोस आधार प्रदान करने और छात्र/छात्राओं के भविष्य को सँवारने हेतु क्रियाशीलनों और नवाचार गतिविधियों के माध्यम से बहुआयामी कार्यक्रमों का सम्पादन निरंतर परिषद् द्वारा किया जा रहा है । वर्तमान में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्,(एस0सी0ई0आर0टी0) के सात विभाग तथा दो कोषांग हैं, जो निम्नलिखित हैंः–

अध्यापक शिक्षा विभाग
विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग
भाषा शिक्षा विभाग
शैक्षिकी प्रौद्योगिकी एवं श्रव्य दृश्य शिक्षा विभाग
शैक्षिक शोध, निदेशन, मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार विभाग
समाजिक विज्ञान, मानविकी एवं सामाजोपयोगी उत्पादन कार्य विभाग
सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा विभाग

कोषांग :

जनसंख्या शिक्षा कोषांग
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कोषांग
उक्त विभागों तथा कोषांग के सम्मिलित प्रयास से परिषद् शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में छात्र/छात्राओं में विज्ञान के प्रति सहज और स्वाभाविक अभिरूचि उत्पन्न करने, उनमें वैज्ञानिक सोच और सृजनात्मक कौशल के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षकों को शिक्षण की नवीनतम विधाओं से अवगत कराने, उनमें शिक्षण संबंधी दक्षता की वृद्धि और विकास के लिए समुचित शैक्षिक सामग्री और विकास के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं । एक ओर राज्य के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं के प्रतिभा के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य के प्रति उनमें संचेतना विकसित करने के लिए किशोरावस्था शिक्षा के विभिन्न अवयवों और उनकी महत्ता की जानकारी तथा एड्स जैसे महामारी से बचाव के उपाय के प्रति उन्हें सजग करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 की उपलब्धि निम्नवत् हैः–

पाठ्यपुस्तक विकासः बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2008 तथा विद्यालयीय पाठ्यक्रम 2008 का प्रकाशन। वर्ग IX, X, XI तथा XII की भाषा एवं सामाजिक अध्ययन विषयों की पाठ्यपुस्तकों का विकास कर अध्ययन हेतु छात्रों को उपलब्ध कराया गया। तथा वर्ग I से VIII तक की पाठ्यपुस्तकों को एन0सी0एफ0–05 और बी0सी0एफ0–08 के आलोक में विकसित कर अध्ययन हेतु छात्रों को उपलब्ध कराया गया। शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षा विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आलोक में वर्ग I से VIII तक की पाठ्यपुस्तकें संशोधित परिमार्जित कर मुद्रण हेतु बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक विकास निगम को उपलब्ध करा दी गई है।

पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण : दो वर्षीय शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यचर्या सह पाठ्यक्रम के आधार पर 52 डायट/पी0टी0ई0सी0 में D.EL.Ed. कोर्स का संचालन किया जा रहा है तथा प्राचार्यों एवं व्याख्यातागण के प्रशिक्षण एवं मासिक रिफलेक्शन का आयोजन निरंतर किया जा रहा है।

एन0सी0एफ0टी0ई–2009 के आलोक में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण डी0एल0एड0 का नया पाठ्यचर्या–सह–पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण : माध्यमिक शिक्षकों को 5 दिवसीय ''तालीम'' प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल एवं साधनसेवी परिषद् द्वारा तैयार किए गए हैं। राज्य तथा जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला के साधनसेवियों को रिफ्लेक्शन कार्यक्रम आयोजित कर स्वाध्याय सामग्री तथा मॉड्यूल उपलब्ध कराया जा रही है।

उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल 'जागृति' विकसित किया गया है इसके आधार पर प्राचार्यों/प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षकों के विज्ञान विषय विशेष प्रशिक्षण हेतु 'उत्प्रेरक' मॉड्यूल विकसित किया गया है तथा साधनसेवियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिला स्तर के साधनसेवियों द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

माध्यमिक विद्यालयों के गणित शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण हेतु 'भास्कर' मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। मॉड्यूल के आधार पर साधनसेवियों को प्रशिक्षित किया गया जो जिला स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं।

विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिताः

यह वर्ष 2009 से आरम्भ होने वाला विभाग का नया कार्यक्रम है जो एस0सी0ई0आर0टी0 एवं श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना के संयुक्त तत्वावधान में बी0आई0टी0एम0, कोलकता से प्राप्त विषय एवं दिशा निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष किया जाता है। एस0सी0ई0आर0टी0 एवं श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पश्चिमी गॉधी मैदान, पटना के संयुक्त तत्वाधान में 10 जुलाई, 2012 को विज्ञान ड्रामा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका मुख्य विषय–Science & Society तथा उप विषय (Sub theme) – Energy Crisis, Health & Hygiene, Life and work of Scientists तथा Wonder world of chemistry था।

विज्ञान संगोष्ठी :–

यह कार्यक्रम विभाग द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 एवं श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना के संयुक्त तत्वावधान में बी0आई0टी0एम0, कोलकता से प्राप्त विषय एवं दिशा निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष संपादित किया जाता है। इस वर्ष दिनांक –28.08.12 को श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र, पश्चिमी गॉधी मैदान, पटना में विज्ञान संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का विषय 'Mathematics in India : Past, Present and Future' था।

पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी :–

परिषद् द्वारा 40वीं जवाहरलाल नेहरू राज्य स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2012–2013 का आयोजन बाल दिवस के अवसर पर दिनांक 09 से 11 नवम्बर, 2012 को पटना में किया गया जिसका मुख्य विषय – विज्ञान और समाज (Science and Society). तथा उप विषय : उद्योग, प्राकृतिक संसाधन एवं उसका संरक्षण, परिवहन एवं संचार, सूचना एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी , सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण तथा गणितीय प्रतिरूपण था।

पूर्वी भारत विज्ञान मेला :–

यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष बी0आई0टी0एम0, कोलकाता द्वारा आयोजित किया जाता है। इस प्रतियोगिता में पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी के विजेता छात्र– छात्राएँ भाग लेते हैं। इस आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार के प्रतिभागियों हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है।

एडुसेट कार्यक्रम : एडुसेट के माध्यम से शिक्षकों के क्षमता विकास हेतु केन्द्रीय शैक्षिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सी0आई0ई0टी0, नई दिल्ली की सहायता से निरंतर वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आयोजन किया जाता है।

बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस के आयोजन में सहभागिता :–

बच्चों के लिए बाल विज्ञान काँन्ग्रेस का आयोजन प्रतिवर्ष सायंस फॉर सोसायटी, बिहार द्वारा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा बिहार काउन्सिल ऑफ सायंस एण्ड टेक्नोलॉजी के सहयोग से वर्ष 1993 से ही राज्य में आयोजित किया जाता है।

<u>परीक्षा संबंधी</u>

विभागीय परीक्षा वर्ष 2012 का आयोजन।

कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2012–13 का आयोजन।

कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय आय–सह– मेधा छात्रवृति परीक्षा 2012–13 का आयोजन।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2012–13 एवं राष्ट्रीय आय–सह– मेधा छात्रवृति परीक्षा–2012–13 का आयोजन विभिन्न जिला मुख्यालयों में दिनांक 02.12.2012. को किया गया।

परिषद् द्वारा जनसंख्या एवं दीर्घ विकास के संबंधों के बीच चेतना जागृत करने के लिए राज्य स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी के साथ जनसंख्या एवं किशोरावस्था शिक्षा के लिए ''बिहार आबादी एवं आर्थिक संसाधन विषय पर'' राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 9–11–2012 से 11–11–2012 तक किया गया।

बिहार जनसंख्या विकास तथा किशोरावस्था एवं जीवन कौशल विषय पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 9–11 नवंबर, 2012 को आयोजित किया गया।

जनसंख्या शिक्षा कोषांग द्वारा 26 सितम्बर, 2012 को रोल–प्ले का आयोजन किया गया।

राज्य स्तरीय जनसंख्या किशोरावस्था शिक्षा संबंधी लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 27.9.2012 को श्री कृष्ण विज्ञान केन्द्र में किया गया ।

बिहार लोक नृत्य प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान एवं राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया।

शोध कार्य : परिषद् द्वारा NCERT एवं BEP के सहयोग से शोध/अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य सम्पादित किये गये हैं।

मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु साधनसेवियों को प्रशिक्षित किया गया।

- छात्र प्रगति पत्रक एवं विद्यालय प्रगति पत्रक

वर्ग 1 से 5 तक के छात्र के लिए छात्र प्रगति पत्रक तथा विद्यालय के लिए विद्यालय प्रगति पत्रक विकसित किया गया।

- 22 दिसम्बर, 2012 को श्री रामानुजम के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर गणित विषय को सुगम बनाने हेतु सेमिनार आयोजित किया गया।

<u>वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तावित कार्य</u>

- दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत डिप्लोमा इन एलिमेण्ट्री एडूकेशन (डी0एल0एड0) का संचालन।
- डी0एल0एड0 कोर्स के लिए संदर्भ सामग्री का विकास तथा मुद्रण।
- कक्षा– I-VIII तक के सभी विषयों की पाठ्युस्तकों का कक्षा में सरलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से शिक्षण हेतु शिक्षक संदर्शिका का विकास।
- कक्षा IX-X की ऐच्छिक विषय का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक का विकास।
- कक्षा XI-XII की कृषि विषय की पाठ्यपुस्तकों का विकास।

<u>अध्यापक शिक्षा</u>

- पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षणः दो वर्षीय शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण एवं इसके आधार पर 26 डायट/पी0टी0ई0सी0 के प्राचार्यों एवं व्याख्यातागण के प्रशिक्षण एवं मासिक रिफ्लेक्शन का आयोजन किया गया।

  दो वर्षीय पूर्व–सेवाकालीन प्रशिक्षण मॉड्यूल का संशोधन परिमार्जन NCTE के पाठ्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है।

  डायट/पी0टी0ई0सी के संकाय सदस्यों का दस दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ''प्रतिबद्धता'' मार्च, 2012 में आयोजित किया जायेगा।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड

राज्य में व्यापक शैक्षिक सुधार एवं प्रगति के बावजूद भी, काफी संख्या में बालक/बालिकाएँ एवं वयस्क, कतिपय सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से विद्यालयी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर है ऐसे सभी, शिक्षा से वंचित लोगों को, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ''दूरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली'' के अन्तर्गत बिहार में पहली बार, स्वायत्तशासी संस्था के रूप में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की स्थापना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 2074 से दिनांक 18.02.2011 को की गई है। यह परीक्षा बोर्ड औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के समतुल्य, विद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा और इसके द्वारा निर्गत दसवीं और बारहवीं के प्रमाण–पत्र अन्य औपचारिक शिक्षा बोर्डों, जैसेः– केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (C.B.S.E), भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद् (I.C.S.E), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (B.S.E.B) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा (N.I.O.S) एवं अन्य बोर्डों के समतुल्य होगा।

सूचना और संचार प्राद्यौगिकी की उन्नति से शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच की दूरी कम हुई है और शिक्षा की प्रक्रिया में सुविधाओं और अंतःक्रियात्मक बनाने की संभावनाएँ बढ़ी है। परिणामस्वरूप, मुक्त शिक्षा प्रणाली विश्व भर में निरंतर प्रगति कर रही है। वर्ष 2011 में शिक्षा विभाग ने संस्था का नाम बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) किया जिसका मिशन औपचारिक शिक्षा प्रणाली के एक विकल्प के रूप में (मुक्त विकल्प के रूप में) मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा प्राथमिकता प्राप्त समूहों को विद्यालय स्तर पर पूर्व–स्नातक स्तर तक प्रासंगिक सतत् शिक्षा प्रदान करना है।

बोर्ड के उद्देश्य

बोर्ड सामान्य व्यावसायिक एवं सतत् शिक्षा के विकास के लिए पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करेगा जो स्नातक स्तर के नीचे (सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा) के स्तर तक का प्रमाण पत्र देगा। बोर्ड मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं मुक्त शिक्षण के क्षेत्र में शोध, नवाचार एवं प्रयोग की जिम्मेदारी लेगा तथा प्रमाणिक नवाचार गतिविधियों को बिहार में प्रसारित करेगा। यह छात्रों के पंजीकरण परीक्षा में बैठने की पात्रता एवं उपस्थिति परीक्षा का संचालन, क्रेडिट ट्रांसफर एवं प्रमाण पत्र देने का कार्य करने के लिए अनुकूल एवं आवश्यक नियमों एवं शर्तो का निर्धारण करेगा।

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम

राज्य में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा कौशलवर्द्धन एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए बोर्ड को ''नोडल संस्था'' के रूप में चिन्हित किया गया है और यह बिहार कौशलवर्द्धन मिशन के तत्वावधान में कार्य करेगा। बोर्ड ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नई दिल्ली से हुए एकरारनामें के आधार पर ऐसी संस्थाओं से मिलकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा, जिन्हें इस क्षेत्र में कार्य का अनुभव प्राप्त है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन राज्य में प्रशिक्षित कार्यबल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मापदण्डों के आधार पर प्रशिक्षण देनें वाली संस्थाओं के द्वारा कम से कम 70 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि बोर्ड प्रशिक्षार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

विशेष परियोजनाएँ

(क) हुनर परियोजना– इस परियोजना का संचालन बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (BEPC) के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत बिहार राज्य में बालिकाओं (मुस्लिम/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिनकी आयु 11–14/16 वर्ष) के लक्ष्य समूह को निःशुल्क व्यावसायिक विषयों में कौशलवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रदान करना है।

(ख) कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (KGBV) –

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (BEPC) के द्वारा संयुक्त रूप से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को पोशाक निर्माण (Garments Making), कम्प्यूटर शिक्षा (Computer Education) एवं जीवन कौशल (Life Skill) विषयों में प्रशिक्षण देने की योजना है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं के लिए पोशाक निर्माण/कम्प्यूटर शिक्षा/जीवन कौशल के निमित्त शिक्षण सामग्री का निर्माण बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

विद्यार्थी सहायता सेवाएँ

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड का, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग (SSS), शिक्षार्थियों को उनकी पढ़ाई में सहायता देने के लिए उत्तरदायी है। इस संदर्भ में यह शैक्षिक, व्यावसायिक और मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अध्ययन केन्द्रों को प्रत्यायित करने का प्रमुख कार्य भी करता है। अबतक राज्य भर में अध्ययन केन्द्र की कुल संख्या 789 है। शिक्षार्थी अपने निकटतम अध्ययन केन्द्र में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, अधिनियम 1981 के अंतर्गत किया गया है। बिहार राज्य में मध्यमा स्तर तक की संस्कृत शिक्षा के विकास और उसकी बेहतर देख रेख के निमित यह स्वायत बोर्ड है। जिसका मुख्यालय पटना में है।

बोर्ड की शक्तियॉ और कृत्य– मध्यमा स्तर तक की संस्कृत शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना, मध्यमा स्तर तक संस्कृत शिक्षा के निदेशक, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति मुख्य रूप से प्राप्त है।

वर्ष 2012–13 की उपलब्धि– बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मध्यमा स्तर के प्रमाण पत्र की मान्यता भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल, दिल्ली (COBSE) से प्रदान की गयी है।

वर्ष 2013–14 का प्रस्तावित कार्य– वर्ष 2012 एवं 2013 की मध्यमा परीक्षा का संचालन, मूल्यांकन एवं परीक्षाफल का प्रकाशन करना।

fcgkj jkT; enjlk f'k{kk cksMZ

परिचय :

पूर्व में यह कार्यालय दो अलग–अलग भागों में स्थापित था। पहला भाग परीक्षा से सम्बंधित कार्य के लिए बिहार मदरसा परीक्षा समिति के नाम से तथा दूसरा भाग प्रशासी प्रबंधन कार्यालय था। जो पूर्णतः राज्य सरकार के अधीनस्थ सहायक निदेशक, इस्लामिक शिक्षा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1979 में राज्य सरकार ने उक्त दोनों कार्यालयों को विघटित कर एक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम– 1981 के द्वारा स्वायत्तता प्रदान करते हुए वर्तमान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है और तबसे यह कार्यालय इसी नाम से जाना जाता है। इस कार्यालय का मुख्य कार्यक्षेत्र पूर्ण बिहार है। इसके कार्य क्षेत्र में बिहार राज्य में अवस्थित स्वीकृत एवं अनुदानित वर्ग वस्तानिया से फाजित स्तर के मदरसों के परीक्षा का संचालन करना, नये मदरसों को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रस्वीकृति एवं स्तरोन्नयन प्रदान करना, मदरसों में मानकानुसार शिक्षकों के नियुक्ति का अनुमोदन एवं मदरसों के प्रबंध समिति का अनुमोदन प्रदान करना तथा छात्रों को विभिन्न स्तर पर पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम का निर्माण करना सम्मिलित हैं। वर्तमान मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के स्थापना के पश्चात् आलिम एवं आलिम ऑनर्स तथा फाजिल की परीक्षा का संचालन अब विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जा चुका है। शेष वस्तानिया, फौकानिया एवं मौलवी की परीक्षा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।

वार्षिक 1.3 करोड़ राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त मदरसा बोर्ड के स्थापना मद में राज्य सरकार द्वारा वार्षिक 25 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपलब्धि प्रतिवेदन

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा 2459+1 अप्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को उक्त मदरसों की जाँच दी गयी थी। जाँचोपराँत 1225 मदरसों का जाँच प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त मदरसों के शिक्षकों को वेतन आदि भुगतान के सम्बंध में अग्रेतर कार्रवाई कर पत्रांक 1112 दिनांक 20.03.2012 द्वारा 240 मदरसों तथा पत्रांक 4086 दिनांक 08.08.2012 द्वारा 310 मदरसों, कुल 550 मदरसों की सूची पूर्व में शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी। आज इस कार्यालय के पत्रांक 1099 दिनांक 12.02.2013 द्वारा पुनः 431 मदरसों की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा नये मदरसों के निबंधन के लिए 1095 आवेदन तथा प्रस्वीकृत मदरसों के उत्क्रमण हेतु 504 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन मदरसों के जाँच के पश्चात् शर्त्त पूरा करने वाले मदरसों के निबंधन तथा उत्क्रमण करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रस्वीकृति एवं उत्क्रमण हेतु जाँच पदाधिकारी नियुक्त कर जाँच करायी जा रही है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृति एवं उत्क्रमण प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फौकानिया एवं मौलवी की परीक्षा, 2012 बिहार के सभी केन्द्रों पर जिला प्रशासन और मदरसा बोर्ड के पदाधिकारियों की देख–रेख में कड़ाई के साथ परीक्षा सम्पन्न हुआ, इसके बावजूद सम्मिलित छात्रा–छात्राओं का परीक्षाफल का प्रतिशत अच्छा रहा है। कुल 62739 छात्र–छात्राएँ मौलवी में एवं 63449 फौकानिया में तथा

अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मदरसा बोर्ड ने अपना वेबसाईट विकसित किया है जो www.bsmeb.co.in के नाम से जाना जा रहा है। इस वेबसाईट को मदरसा बोर्ड द्वारा विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वस्तानिया 2013 की परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गयी है। परीक्षा 02 मार्च 2013 से लेकर 06 मार्च 2013 तक समाप्त हो जायेगी। इस वर्ष वस्तानिया परीक्षा में 1,25,631 परीक्षार्थियों के सम्मिलित होने की सम्भावना है।

फौकानिया परीक्षा 2013 में 50,257 एवं मौलवी में लगभग 75,128 परीक्षार्थियों का निबंधन किया गया है।

इस वर्ष फौकानिया एवं मौलवी के टॉपर को निम्नप्रकार से पुरस्कृत करने की योजना को बोर्ड ने सहमति प्रदान की है

टॉपर नं0 1 – 15,000/–

टॉपर नं0 2 – 10,000/–

टॉपर नं0 3 – 7,000/–

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से निर्गत होने वाले प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्र का Ultra Voilet Printing, Micro Text, Hidden Text, Variable Bar Code, Holographic Strip की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है, साथ ही Tabulation Register में भी इन्हीं सुरक्षा मानकों का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रमाण–पत्रों की Duplicacy नहीं हो सकेगी।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत प्रस्वीकृत 1127+2460 मदरसों के देख–रेख एवं सुचारू रूप से चलने हेतु अध्यक्ष मदरसा बोर्ड द्वारा भ्रमण किया जा रहा हैं। जिस गाँव में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या होने के पश्चात मदरसा नहीं है, वहाँ मदरसा स्थापित हो, इसके लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है।

अनुदानित मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल, पुस्तक, इत्यादि पूर्व वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष तेजी लायी जा रही है।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत प्रस्वीकृत 1127 मदरसों में आधुनिकीकरण हेतु SPQEM के अन्तर्गत जो बैठक दिल्ली में सम्पन्न हुई है जिसमें लिये गये निर्णय के तहत सभी मदरसों में कम्प्यूटर लैब, साईंस लैब तथा पुस्तकालय को सुदृढ़ करने पर लगभग 43 करोड़ का बोझ पड़ेगा।

मदरसा बोर्ड की अपनी जमीन एवं भवन के सम्बंध में प्रयास तेज कर दी गयी है। जमीन एवं प्लॉट देखी जा चुकी है। स्थान का निर्धारण किया जा चुका है, जिलाधिकारी, पटना से विचार विमर्श कर जमीन की जाँच की जा रही है।

भवन निर्माणोपरांत कार्यालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है।

जिन मदरसों में भवन एवं उपस्कर की कमी है, उन्हें बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन फंड द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रत्येक मदरसों में बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच हेतु मासिक स्वास्थ्य जाँच कैम्प लगाने पर विचार किया जा रहा है।

अध्यापक शिक्षा

उद्देश्यः

पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर शिक्षक का निर्माण

सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का निरंतर दक्षता उन्नयन एवं अनुसमर्थन

प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के नेतृत्व क्षमता का विकास

प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों की उत्कृष्टता एवं उनका बेहतर उपयोग

विद्यालय प्रबंधन में लोक भागीदारी

अप्रशिक्षत शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण

शिक्षा से जुड़े हर स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की दक्षता का उन्नयन

राज्य में विद्यालयी शिक्षा के हर क्षेत्र में गत् वर्षो में व्यापक सुधार हुये हैं। प्रारम्भिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति संतोषजनक स्तर पर है। बच्चों के छीजन दर में भी कमी आई है। विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित कार्यो में बहुत तेजी आई है। विद्यालयों में शिक्षण स्तर में सुधार हेतु पुस्तकालय और प्रयोगशाला आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा विद्यालयों के शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री आदि के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। शिक्षक छात्र अनुपात में बेहतर सुधार हुआ है, इसे और बेहतर करने की दिशा में राज्य सरकार का प्रयास जारी है।

राज्य में सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की केन्द्र प्रायोजित योजनायें बेहतर रूप से संचालित हैं। राज्य का प्रत्येक बच्चा शिक्षा से जुड़े एवं उपयोगी शिक्षा पा सके इस हेतु राज्य सरकार के स्तर से साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं परिभ्रमण कार्यक्रम आदि बेहतर एवं व्यवस्थित स्वरूप में संचालित हो रहे हैं।

शिक्षा का संबंध सीधे तौर पर मानव विकास से जुड़ा हुआ है। "Education is a potent tool of human development". बिहार एक विकासशील राज्य है। इसके पास सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। बिना मानव संसाधन विकास के राज्य के विकास की परिकल्पना बेमानी है। मानव संसाधन का विकास बच्चे की विद्यालयी शिक्षा पर निर्भर है। यहीं से शिक्षा के सारे रास्ते खुलते हैं। यहीं पर बेहतर नागरिक की नींव डाली जाती है। वर्तमान बिहार जो विकास के दौर से गुजर रहा है एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में सम्मिलित हो यह बच्चों की विद्यालयी शिक्षा पर निर्भर है।

राज्य में विद्यालयी शिक्षा हेतु लगातार किये जा रहे प्रयासों के बावजूद आज भी हमारे सामने शिक्षा की चुनौतियाँ बरकरार हैं।

नामांकित सभी बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति।

बच्चों की अपनी कक्षा अनुरूप दक्षता की प्राप्ति।

प्रारम्भिक विद्यालयों एवं बच्चों की संख्या के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता

राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रखा गया है। इसका परिणाम

राज्य की शिक्षा में एवं विशेष रूप से बालिका शिक्षा में तो दिखेगा ही साथ ही मानव विकास के विभिन्न सूचकों में भी बेहतरी आयेगी।

विद्यालय में सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति हो, सभी बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करें इसमें शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। शिक्षक शिक्षा की धूरी है। शिक्षक यदि चाहे तो सुविधाविहीन विद्यालय में भी दक्ष एवं योग्य बच्चों का फूल पुष्पित हो सकता है। "I have always felt that true textbook for the pupil is the teacher". (Mahatma Gandhi)

राज्य के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात में शिक्षक की उपलब्धता एवं राज्य के नये प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयों के लिए राज्य को एक बड़ी संख्या में योग्य एवं दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता है। राज्य की विद्यालयी शिक्षा में बेहतर परिवर्तन हेतु आवश्यक है शिक्षकों का लगातार क्षमता संबर्द्धन हो और उनके कार्यों में उन्हें नियमित सहयोग एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जाए।

राज्य के विद्यालयों (प्रारम्भिक विद्यालयों) में बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन किया गया है। आगे भी एक बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन संभावित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप विद्यालयों में मात्र प्रशिक्षित शिक्षकों ही रखे जा सकते हैं। इस आलोक में राज्य में पूर्व से नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं आगे नियुक्त होनेवाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को बेहतर रूप से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु ''इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय'' के माध्यम से प्रयास किया गया जिसकी गुणवत्ता सर्वाधिक संदिग्ध रही है। यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा गठित ''ए. के. शर्मा कमिटी'' के प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

राज्य के प्रत्येक बच्चे को बेहतर प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित हो, राज्य का मानव संसाधन एक बेहतर एवं उपयोगी मानव संसाधन के रूप में विकसित होकर, राज्य की प्रगति में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सके, इसके लिए निम्न लक्ष्यों पर कार्य किया जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्यता है :

- विद्यालयों के लिए बेहतर एवं योग्य शिक्षकों का निर्माण
- विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण
- विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक दक्षता का उन्नयन
- विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का बेहतर एवं निरंतर कार्यकारी अनुसमर्थन
- बेहतर शैक्षिक शोध एवं शोध आधारित कार्य योजना का निर्माण
- विद्यालयों में समाज एवं समुदाय का बेहतर लगाव एवं जुड़ाव

इन लक्ष्यों की प्राप्ति तबतक संभव नहीं है जबतक कि राज्य में अध्यापक शिक्षा को बेहतर स्वरूप में विकसित नहीं किया जाए। उपलबध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि राज्य की शिक्षा में गुणवत्ता हेतु अध्यापक शिक्षा को अलग कर जो भी प्रयास किये गये वे सफल एवं टिकाऊ नहीं रहे हैं।

पिछले 15–20 वर्शो से अध्यापक शिक्षा की स्थिति असंतोषजनक रही है। जिसका प्रभाव वर्ग कक्ष से लेकर छात्रों के उपलब्धि स्तर तक देखा जा

सकता है। राज्य में अध्यापक शिक्षा को नये सिरे से बेहतर स्वरूप में विकसित करने हेतु व्यापक प्रयास किये गये हैंः–

- अध्यापक शिक्षा हेतु अलग सेवा संवर्ग निर्माण का प्रयास।
- प्रखंड संसाधन केन्द्रों एवं संकुल संसाधन केन्द्रों का अध्यापक शिक्षा के अन्दर सम्मिलित किया जाना।
- अध्यापक शिक्षा की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए इसके माध्यम से विद्यालयी शिक्षा में उत्कृष्टता हेतु अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एवं अजीम प्रेमजी फउन्डेसन के साथ सहयोग।
- अध्यापक शिक्षा की भौतिक एवं अकादमिक सुधार हेतु विश्वबैंक से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

राज्य में विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित हो इस हेतु अध्यापक शिक्षा के हर स्तर CRC, BRC, BITE, PTEC, DIET, CTE, IASE और SCERT की भौतिक और शैक्षिक व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है तथा शिक्षक तैयारी की नवाचारी व प्रभारी कार्यक्रम की रणनीति तैयार की जा रही है।

वर्तमान में अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना लागू है जिसके तहत व्यापक तौर पर केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिये अध्यापक शिक्षा हेतु केन्द्रीय सहायता से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत की गई हैं, जिसके अनुसार अध्यापक शिक्षा हेतु राज्य एवं केन्द्र के बीच 25 और 75 की हिस्सेदारी निर्धारित की गई है।

अध्यापक शिक्षा की वर्तमान वार्षिक कार्य योजना तथा बजट 2013–14 हेतु राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार की वर्तमान केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं राज्य के अध्यापक शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

राज्य में अध्यापक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप –

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–33

प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान – 4

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय–23

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय–6

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद–1

राज्य में अध्यापक शिक्षा का प्रस्तावित स्वरूप–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान–38ः– प्रत्येक जिला के लिये एक।

(5 जिले : अरवल, जहानाबाद, सहरसा, सुपौल एवं जमुई जहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, में नये स्थापित किये जाएँगे)

प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान–8ः प्रत्येक अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति बाहूल्य जिला के लिये एक। (4 जिलेः अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ एवं सीतामढ़ी में नये स्थापित किये जाएँगे)

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय–14

(पूर्व से स्थापित 6, के अतिरिक्त राज्य की आवश्यकता को देखते हुए एवं अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के प्राधानों के आलोक में प्रत्येक तीन जिला के लिए एक अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय सुनिश्चित करने हेतु 8 जिलों राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के उत्क्रमण से 2, नये स्थापित 8)

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद–1

अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत केन्द्रिय सहायता का प्रावधान –

केन्द्र सरकार के स्तर से निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार 12 वें योजना काल में अध्यापक शिक्षा अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता का निम्न प्रावधान किया गया हैः

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद

A. For training of Educational Administrators , including Head Teachers
B. Orientation/Induction Training for Teacher Educators
C. Non recurring central assistance for Physical infrastructure (Civil Works, Hostel Facilities, Repairs and renovations, etc)
D. Rs 30 lakh for Equipment
E. Non recurring Central Assistance of Rs. 50 lakh for establishment of special Cells/Laboratories for science, Mathematics, Social science, Educational Technology/Computer and language / English
F. Rs. 20 lakh as recurring assistance for under taking specific Projects for academic activities.
G. Rs 10 lakh/SCERT/Year for capacity building of Faculty members of SCERT
H. Salaries of Faculty members and Staff in respect of additional posts sanctioned and filled after revised Scheme.

अध्यापक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार

A. Estabishment of New CTEs: Based on one for each three District.
B. Non-recurring Central assistance for Strengthening and upgrading their Infrastructure
C. Recurring central Assistance for expenditure on salary (For posts sanctioned and filled after upgradation)
D. 25 lakh/CTE/year for programme and Activities
E. 15 Lakh/CTE/year for contingency

F. Rs. 30 lakh for equipment

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

A. For Infrastructure of new DIETs
B. Rs. 30 lakh for Equipment grant for old ones and Rs. 40 lakh for new ones.
C. Salary for all posts sanctioned and filled up after up gradation
D. Rs. 30 lakh/DIET/ year for programme and activities
E. Rs. 15 Lakh/Year/DIET for Contingencies
F. Rs. 5 Lakh/Year/DIET for faculty Development.

प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान

A. For Civil Works
B. Rs. 20 Lakh for equipment
C. Salarie for posts sanctioned and filled after upgradation.
D. Rs. 5 lakh/Year/BITE as contingencies.

अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिये आवश्यक है कि राज्य में अध्यापक शिक्षा का अलग कैडर का निर्माण किया जाए। अलग कैडर निर्माण हेतु संचिका वित्त विभाग को प्रेषित है।

2012–13 में किये गये कार्य एवं उपलब्धि :

कुल 9 जिलों में संचालित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उत्क्रमित किया गया। इस प्रकार राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसकी संख्या पूर्व वर्ष में 24 थी, बढ़कर 33 हो गई।

राज्य के कुल 8 अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में से 4 जिलाः पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, कटिहार एवं प. चम्पारण में पूर्व से स्थापित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय को अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत उत्क्रमित कर प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया गया।

कुल 21 प्रशिक्षण संस्थानों, जिसमें सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संचालन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता नहीं थी, को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त कर सभी सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन किया गया।

कुल 12 प्रशिक्षण संस्थानों जिसमें मात्र 50 छात्रों के लिए सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संचालित करने की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्त थी, में 100 छात्रों के लिए सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संचालित करने हेतु मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्त की गई।

कुल 3 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों, जिसमें सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संचालित करने की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से नहीं प्राप्त थी, में 100 छात्रों के लिए B.Ed. course संचालित करने की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्त की गई।

राज्य के विद्यालयों में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करने हेतु राज्य के प्रखंड संसाधन केन्द्रों तथा संकुल संसाधन केन्द्रों का अकादमिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अधीन लाया गया एवं इनके चुनाव हेतु मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया।

अध्यापक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 300 योग्यताधारी शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन अध्यापक शिक्षक के रूप में करने हेतु अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एवं फाउन्डेशन के सहयोग से इनका Development Need Analysis की प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी की गई एवं दूसरे चरण के लिए तैयारी की जा रही है।

राज्य के सभी अध्यापक शिक्षकों के प्रशिक्षण क्षमता संबर्द्धन हेतु BIPARD के माध्यम से लगभग 100 से ऊपर अध्यापक शिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित किया गया।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एवं फाउन्डेशन के सहयोग से राज्य के 65 प्राचार्यों एवं पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण कराया गया।

अध्यापक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करते हुए उनके माध्यम से प्रारम्भिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने एवं इसमें तेजी लाने हेतु अजीम प्रेमजी फाउन्डेशन से सहयोग प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् की देख–रेख में राज्य के लगभग सभी अध्यापक शिक्षकों का विषय आधारित प्रशिक्षण, क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक शोध से संबंधित प्रशिक्षण निरेतरता के आधार पर कराया गया है।

राज्य के प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा अपने क्षेत्र में 100 से ऊपर क्रियात्मक शोध, प्रशिक्षु शिक्षकों, प्रयोशाला विद्यालय के शिक्षकों एवं अध्यापक शिक्षकों के माध्यम से कराये गये हैं जो राज्य की प्रारम्भिक शिक्षा की रणनीति तय करने में सहायक सिद्ध होंगे।

प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सके इस हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इसे संचालित करने की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से प्राप्त की गई है और इसे शीघ्र संचालित किया जाएगा।

प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों, प्रखंड संसाधन केन्द्रों एवं संकुल संसाधन केन्द्रों के द्वारा बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके एवं इस हेतु इन सभी संस्थानों में दूरस्थ शिक्षा संचालित करने हेतु आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जा सके इस हेतु विश्व बैंक से लगभग ₹1600 करोड़ का सहयोग प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है।

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के भवन निर्माण, सामग्री क्रय, उपस्कर उपकरण क्रय हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को प्राधिकृत किया गया है।

राज्य योजना से किये गये कार्यः

15 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के प्रशासनिक भवन, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग छात्रावास, अध्यापक शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के लिए आवास तथा चाहरदिवारी निर्माण हेतु प्रथम चरण में कुल ₹3000.00 लाख की राशि आधारभूत संरचना विकास निगम को उपलब्ध कराई गई है।

3 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशासनिक भवन, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग छात्रावास, अध्यापक शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के लिए आवास तथा चाहरदिवारी निर्माण हेतु प्रथम चरण में कुल ₹918.00 लाख की राशि आधारभूत संरचना विकास निगम को उपलब्ध कराई गई है।

सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों में छात्रों, अध्यापक शिक्षकों एवं प्राचार्य के बैठने हेतु प्रति संस्थान ₹5.00 लाख की दर से कुल ₹280.00 लाख का उपस्कर आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था हेतु कुल ₹34.08 लाख की राशि संस्थानों को उपलब्ध कराई गई है।

राज्य के 30 कार्यरत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालय –सह–संसाधन केन्द्र के विकास एवं पुस्तकों के क्रय हेतु प्रति संस्थान ₹2. 00 लाख की दर से कुल ₹60.00 लाख की राशि संस्थान को उपलब्ध कराई गई है।

सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए अपना वेवसाइट निर्माण हेतु कुल ₹13.20 लाख की राशि संस्थानों को उपलब्ध कराई गई है।

अध्यापक शिक्षकों के बेहतर चयन, उनका बेहतर क्षमता संबंर्द्धन अजीम प्रेमजी फउन्डेशन के माध्यम से कराने हेतु कुल ₹70.00 लाख की राशि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् को उपलब्ध कराई गई है।

राज्य योजना मद से कुल ₹1525.37 लाख की स्वीकृति राज्यांश के रूप में व्यय करने हेतु स्वीकृत की गई है।

अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत किये गये कार्यः

कुल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानो, प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थानों, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के भवन निर्माण, उपस्कर उपकरण, आकस्मिकता एवं कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल कुल ₹6101.49 लाख की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें ₹4576.12 लाख की राशि केन्द्रांश के रूप में तथा ₹1525.37 लाख की राशि राज्यांश के रूप में स्वीकृत की गई है। विवरण निम्नवत हैः

S.N	Institution	TEAB Sanctioned Position				Remarks
		No.	Total Amount	Central	State	
1.	Civil works	23	5004.73	3753.55	1251.18	
2.	Equipment	21	270.00	202.50	67.50	
3.	Special Cell (SCERT)	1	50.00	37.50	12.50	
4.	Programme & Activities	27	331.76	248.82	82.94	
5.	Faculty Development (DIETS)	22	55.00	41.25	13.75	
6.	Contingency (DIETs+CTEs)	26	390.00	292.50	97.50	
7.	Total	120	6101.49	4576.12	1525.37	

स्वीकृत राशि के विरुद्ध कुल ₹5004.73 लाख केन्द्रांश– ₹3753.55 लाख एवं राज्यांश– ₹1251.18 लाख रुकी राशि स्वीकृत किया गया है। विवरण निम्नवत है :

S.N	Institution	TEAB Sanctioned Position				Remarks
		No.	Total Amont	Central	State	
1.	DIETs	10	1950.00	1462.50	487.50	New Construction
2.	Upgraded DIETs	6	1170.00	877.50	292.50	New Construction
3.	CTEs	3	91.00	68.25	22.75	Renovation
4.	SCERT	1	233.73	175.30	58.43	Renovation
5.	BITEs	4	1560.00	1170.00	390.00	New Construction
6.	Total	24	5004.73	3753.55	1251.18	

उपस्कर उपकरण, कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ, आकस्मिकता आदि के लिए राशि निम्नवत स्वीकृत हैः

Equipment

S.N	Institution	TEAB Sanctioned Position				Remarks
		No.	Total Amount	Central	State	
1.	DIETs	10	100.00	75.00	25.00	
2.	Upgraded DIETs	6	60.00	45.00	15.00	
3.	CTEs	0	0.00	0.00	0.00	
4.	SCERT	1	30.00	22.50	7.50	
5.	BITEs	4	80.00	60.00	20.00	
6.	Total	21	270.00	202.50	67.50	

Programme & Activities (Recurring)

S.N	Institution	TEAB Sanctioned Position				Remarks
		No.	Total Amount	Central	State	
1.	DIETs	22	225.00	168.75	56.25	
2.	Upgraded DIETs	0	0	0	0	
3.	CTEs	4	48.80	36.60	12.20	
4.	SCERT	1	57.96	43.47	14.49	
5.	BITEs	0	0	0	0	
6.	Total	27	331.76	248.82	82.94	

Contingency (Recurring)

S.N	Institution	TEAB Sanctioned Position				Remarks
		No.	Total Amount	Central	State	
1.	DIETs	22	330.00	247.50	82.5	
2.	Upgraded DIETs	0	0	0	0	
3.	CTEs	4	60.00	45.00	15.00	
4.	SCERT	0	0	0	0	
5.	BITEs	0	0	0	0	
6.	Total	26	390.00	292.50	97.50	

2013–14 में अध्यापक शिक्षा अन्तर्गत निम्न कार्यों का प्रस्ताव हैः

- 2012–13 में प्रारम्भ किये गये कार्यो का पूर्ण किया जाना
- अध्यापक शिक्षा सेवा संवर्ग का गठन
- राज्य के सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण एवं विकास
- राज्य के 10 अध्यापक शिक्षा संस्थानों जिनकी मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से नहीं प्राप्त है उनकी मान्यता प्राप्त करना।
- अध्यापक शिक्षा के सुदृढीकरण के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन हेतु अजीम प्रेमजी फउन्डेशन के साथ समझौता एवं सहयोग।
- अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विश्व बैंक से सहयोग

- BIPARD के माध्यम से अध्यापक शिक्षकों के प्रशिक्षण स्कील का बेहतरीकरण एवं राज्य के लिए बेहतर प्रशिक्षक का निर्माण

- शैक्षिक शोध एवं क्रियात्मक शोध पर विशेष बल जो राज्य की शैक्षिक योजना एवं रणनीति के निर्माण में सहायक हो सके।

- अध्यापक शिक्षकों का विशय आधारित प्रशिक्षण पर विशेष बल।

- अध्यापक शिक्षा के लिए D.El.Ed. एवं B.Ed. कोर्स के लिए NCF-TE अधारित पाठ्यचर्या का निर्माण एवं उसके अनुसार अध्यापक शिक्षा के सेवापूर्व प्रशिक्षण का संचालन।

- अध्यापक शिक्षा संस्थानों के रिक्त पदों को योग्य एवं दक्ष अध्यापक शिक्षकों के माध्यम से भरा जाना एवं उनका निरंतर प्रशिक्षण।

- प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक का चुनाव एवं उनका बेहतर प्रशिक्षण एवं विद्यालय के बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में उनका बेहतर उपयोग।

- शिक्षा विभाग के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

- मिशन गुणवत्ता में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी एवं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को ठोस आधार प्रदान करना।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किये गये शैक्षणिक सुधारों को बिहार में बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कारगर ढ़ग से लागू किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2013–14 बारहवीं पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है।

उच्च शिक्षा अन्तर्गत (राज्य योजना) संचालित मुख्य योजनाएँः–

राज्य के चयनित महाविद्यालयों में उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जानाः– प्रथम चरण में राज्य के 19 चयनित महाविद्यालयों को उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इन महाविद्यालयों को इस हेतु ₹19.42 करोड़ राशि उपलब्ध करायी गयी है। इन महाविद्यालयों में e-library की स्थापना हेतु भी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। अगले वित्तीय वर्ष द्वितीय चरण के रूप में अन्य महाविद्यालयों को भी उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

महाविद्यालयों को NAAC से उच्च श्रेणी प्राप्त किया जानाः–

महाविद्यालय को NAAC (National Assessment–Accreditation Council) के माध्यम से उच्च श्रेणी की मान्यता की कार्रवाई शरू की गयी है। इस हेतु उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में चयनित 19 महाविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालयों को भी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापनाः–

राज्य के मोतिहारी एवं गया में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृतिः– मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थाना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कुल ₹2.76 करोड़ का आकलन किया गया है। इसमें से वर्ष 2012–13 में ₹100 करोड़ की स्वीकृति की जा रही है।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालयः–

इसकी स्थापना राज्य में तकनीकी, चिकित्सा तथा अन्य व्यावसायिक शिक्षा को समुन्नत करने के उद्देश्य से की गई है। राज्य के सभी सरकारी अभियंत्रण/चिकित्सा महाविद्यालयों को एक विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन करने हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय से सभी सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालयों को संबद्ध किया जा चुका है। कई निजी तकनीकी संस्थान भी इससे जुड़ गये है। इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2012–13 में एक नैनो साईंस/नैनो टेक्नोलॉजी केन्द्र की स्थापना भी की गई है जिसमें नैनो साइंस/नैनो टेक्नोलॉजी के पढ़ाई की व्यवस्था हेतु व्याख्याताओं/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजित किए जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस विश्वविद्यालय के लिए ₹1550.00 लाख उपलब्ध कराया गया है।

ए0एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थानः–

ए0 एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान में दो नये विषयों अहिंसा एवं शांति तथा सामाजिक भूगोल अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इस हेतु राज्य सरकार के द्वारा ₹4.8 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

वेतन सत्यापन कोषांगः–

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के ससमय एवं उचित वेतन निर्धारण एवं भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु वेतन सत्यापन कोषांग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह कोषांग कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा और बिहार सरकार के वित्त विभाग के अन्तर्गत वै0 दा0 कोषांग में कार्यरत प्रणाली का उपयोग करते हुए पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जायगी।

नालन्दा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयः–

प्रतिष्ठित नालन्दा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी है। अगले वित्तीय वर्ष में कुछ पाठ्यक्रमों के संचालन की शुरूआत करने की योजना है।

सामुदायिक महाविद्यालयः–

भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत वर्ष में 200 महाविद्यालयों को सामुदायिक महाविद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है। बिहार के 15 महाविद्यालय इस हेतु चयनित किये गये हैं। इन महाविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के अल्पकालीन एवं पूर्णकालीन पाठ्यक्रम चलाये जायेंगे जिससे संबंधित क्षेत्र के लोगों को व्यवसायिक शिक्षा एवं रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

चाणक्य विधि विश्वविद्यालयः–

15 अगस्त 2006 को स्थापित चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, विधि की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में पहचान प्राप्त कर चुका है जिससे बिहार के छात्र अपने राज्य में ही विधि की उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर रहे है। विश्वविद्यालय अपने भवन/परिसर में विधिवत् स्थानांतरित हो चुका है। इस संस्थान में अब तक कुल 552 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है जिसमें से विगत वर्ष 2011 में 80 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से कम–से–कम 65% (प्रतिशत) रोजगार पा चुके है। इस संस्थान को वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹3.00 करोड़ भवन–निर्माण/ स्थापना मद में स्वीकृत एवं विमुक्त किए गये है।

चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थानः–

चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना की स्थापना आई0आई0एम0 की तर्ज पर प्रबंधन की उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। सम्प्रति इस संस्थान के भवन–निर्माण की कार्रवाई प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस संस्थान के भवन निर्माण, स्थापना, कार्यालय व्यय एवं अन्य व्ययों के लिए ₹400.00/– लाख़ उपलब्ध कराया गया है।

परीक्षा भवन का निर्माणः–

राज्य सरकार राज्य के विभिन्न जिलों के जिला मुख्यालयों में परीक्षा–भवन का निर्माण करने हेतु कृत संकल्प है। अंकनीय है कि इससे एक ही भवन में केन्द्रीकृत रूप से परीक्षाएँ संचालित की जा सकेगी तथा नियमित कक्षाएँ बन्द नहीं होगी। साथ–ही–साथ इससे प्रशासकीय सहूलियत भी होगी। इन परीक्षा भवनों में आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी कराए जा सकेंगे। अबतक स्वीकृत 23 जिलों में से 11 जिलों में निर्माण हेतु प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

बिहार राज्य–पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना

परिचय

पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड की स्थापना 12 अप्रील 1965 में हुई। निगम का मुख्य कार्य प्राईमरी, सेकेन्डरी एवं विश्वविद्यालय स्तर की सभी भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन, मुद्रण, बिक्री एवं आपूर्ति करना है। निगम यह कार्य मुख्यालय सहित अन्य चार बिक्री केन्द्रों, यथा भागलपुर, पूर्णिया, गया, एवं मुजफ्फरपुर के माध्यम से करती है।

1. वित्तीय वर्ष 2012–2013 में निगम द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की भौतिक/वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि

(क) सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्तिः–

निगम भारत सरकार एवं बिहार सरकार का संयुक्त कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत आरम्भ से ही पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वर्ग 1 से 8 तक 9.78 करोड़ पुस्तकों का 1.98 करोड़ सेट तैयार कर प्रखण्ड स्तर पर आपूर्ति की गयी है। जिसके विरुद्ध अभी तक ₹140.00 करोड़ प्राप्त हुआ है।

(ख) सामान्य बिक्री की पाठ्य पुस्तकेंः–

वर्ग 9 से 12 तक की पाठ्य–पुस्तकें भी निगम के सभी गोदामों एवं थोक/खुदरा विक्रेताओं के पास सुलभ करायी गई है। जिसमें अरबी, पफारसी, मैथिली, बंगला, मगही, भोजपुरी भाषाओं की पुस्तकें भी सम्मिलित हैं। निगम के मुख्यालय कार्यालय स्थित खुदरा बिक्री केन्द्र में भी ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। वर्ग 9 से 12 तक के पुस्तकों की बिक्री का लक्ष्य 40 लाख थी परन्तु अभी तक 23 लाख प्रतियाँ ही बेची जा सकी हैं, जिससे सकल राशि 831.57 लाख की प्राप्ति हुई है।

(ग) अन्यान्यः–

(i) निगम के मुख्यालय कार्यालय स्थित खुदरा बिक्री केन्द्र से भी कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य–पुस्तकों के अलावा कई सरकारी प्रकाशन की पुस्तकें जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प, आदेश, निर्देश पत्र आदि से संबंधित कम्पेडियम पुस्तक प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।

(ii) वर्ग 9 की सभी पुस्तकें NCERT एवं SCERT द्वारा विकसित कर छात्र–छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी है। वर्ग 9 एवं 10 की NCERT गणित एवं विज्ञान तथा 11 एवं 12 की सभी विषयों के NCERT की पुस्तकें हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में राज्य के सभी डीपों यथा पटना, भागलपुर, पूर्णियाँ, गया, मुजफ्फरपुर एवं सभी जिलों के अधिकृत थोक विक्रेताओं के पास पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है।

(iii) निगम ने अपने नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) के तहत वर्ग 1 से 10 तक अप्रचलित पुस्तकें राज्य के सभी जिलों एवं अनुमंडल पुस्तकालयों तथा BEP द्वारा संचालित शिक्षा केन्द्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।

2. वित्तीय वर्ष 2012–13 में किये गये सामाजिक/अन्य महत्त्वपूर्ण नीति विषयक कार्य

(i) वर्ष 2012–13 में NCF के आलोक में SCERT द्वारा विकसित वर्ग 1 से 8 के सभी पुस्तकों को पुनः संशोधित कर प्रकाशन किया गया है।

(ii) SCERT पटना द्वारा आयोजित जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी के अन्तर्गत छात्रा–छात्राओं को पुस्तक सामग्री के क्रय हेतु निगम द्वारा वर्ष 2012–13 में 1.5 लाख रुपया उपलब्ध करायी गयी है।

(iii) राज्य के विभिन्न निर्धन/अन्य विद्यालयी संस्थानों में समय–समय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करायी गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2013–14 के भावी कार्यक्रमों एवं अन्य नीति विषयक कार्य से संबंधित विवरणीः–

(i) सर्वशिक्षा कार्यक्रमः– सर्वशिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में कुल 10.00 करोड़ पुस्तकों का 1.98 करोड़ सेट तैयार कर छात्र–छात्राओं के बीच वितरित करने का लक्ष्य है। इससे लगभग ₹320.00 (तीन सौ बीस करोड़) प्राप्त होने का लक्ष्य है।

(ii) सामान्य बिक्री की पाठ्य–पुस्तकेंः– 2013–14 में वर्ग 9 से 12 तक के छात्र–छात्राओं के लिए 55.00 लाख पुस्तकों के बिक्री का लक्ष्य रखा गया है जिससे ₹1,650 लाख राशि प्राप्त होने का अनुमान है।

(iii) निगम प्रेस के आधुनिकीकरणः– निगम प्रेस में जो मशीनें पुरानी है और काम लायक नहीं है, उन्हें नीलामी के माध्यम से बिक्री कर नयी मशीनों का क्रय किया जाना श्रेयस्कर होगा। प्रेस की मुद्रण क्षमता बढ़ाने के लिए दो अदद हाई स्पीड बेव ऑपफसेट क्रमशः

(क) Web Offset-4 Colour Both Side- 578mm

(ख) Web Offset-4 Colour Both Side- 508mm

खरीदने का प्रस्ताव है।

(iv) पुस्तकों एवं अन्य सामाग्रियों के मार्केटिंग की व्यवस्थाः–

- राज्य के सभी प्रमंडल स्तर पर बिक्री केन्द्र खोलनाः– निगम द्वारा मुद्रित पुस्तकों को वर्तमान में निगम के पाँच बिक्री केन्द्रों यथा– मुख्यालय पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, एवं मुजफ्फरपुर। शेष प्रमंडल यथा– सारण, सहरसा, दरभंगा, मुँगेर में बिक्री केन्द्रों को खोला जाना।

- NCERT के वर्ग 1 से 8 की पुस्तकों का विक्रय करनाः– NCERT की वर्ग 9 एवं 10 की गणित एवं विज्ञान तथा 11 एवं 12 की सभी पुस्तकें (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) वर्तमान में निगम द्वारा बिक्री की जा रही है। वर्ग 1 से 8 तक की सभी NCERT की पाठ्य–पुस्तकों की बिक्री हेतु राज्य के सभी प्रमंडलों के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से पुस्तकें बिक्री करने की योजना है। इस निमित्त NCERT नई दिल्ली से अपेक्षित कारवाई की गयी है।

- HPC द्वारा निर्मित फोटोकॉपी पेपर की बिक्री करनाः– HPC द्वारा निर्मित फोटोकॉपी पेपर का पूरे राज्य में बिक्री करने की योजना है। इस निमित्त HPC, कोलकाता से अपेक्षित कारवाई की गयी है। इसके साथ ही एक बड़े मार्केटिंग नेटवर्क हेतु पाँच सहायक मार्केटिंग मैनेजर को संविदा पर नियोजित करने की आवश्यकता होगी ताकि सभी कार्यों का व्यापारिक प्रबंधन सुचारू रूप से संपन्न किय जा सके।

- निगम भवन को हाईटेक किया जानाः– निगम का परिसर लगभग 2.75 एकड़ है जिसमें वर्तमान में कार्यालय, प्रेस एवं गोदाम का भवन अवस्थित है। चूँकि यह परिसर पटना के महत्त्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर अवस्थित है। यातायात की दृष्टिकोण से गोदाम परिसर की नो इन्ट्री वाले

जोन में वैकल्पिक व्यवस्था कर उपयोग किये जाने वाले लगभग एक एकड़ जमीन में व्यापारिक महत्त्व के मल्टीप्लेक्स भवन (सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय/ सभागार) का निर्माण करने की योजना है जिससे सालाना करोड़ों की आमदनी संभव है। इससे निगम आत्मनिर्भर हो जायेगा।

भवन निर्माण के लिए आर्थिक रूप से निगम सक्षम है एवं इसे राष्ट्रीय स्तर के लब्धप्रतिष्ठित संस्थान द्वारा भवन निर्माण कराने की योजना है।

शैक्षणिक शाखा का सुदृढ़ीकरणः– चूँकि बिहार स्टेट टेक्स्टबुक प्रकाशन निगम लि॰ का प्रमुख कार्य पुस्तकों का प्रकाशन है। जिसके लिए पुस्तकों के गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु भाषा विशेषज्ञ यथा– हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, फारसी, अरबी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, संस्कृत के प्रामुद्रवाचक की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में प्रामुद्रवाचक के ग्यारह स्वीकृत पद के विरुद्ध मात्रा एक ही प्रामुद्रवाचक कार्यरत है एवं डिजाईनर/आर्टिस्ट का एक पद रिक्त है। इन पदों पर नियोजन की आवश्यकता है।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड

शिक्षा विभाग से जुड़ी आधारभूत संरचना के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु बिहार राज्य की स्थापना की गयी है। शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम का निबंधन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Limited के नाम से 16 जुलाई 2010 को कराया गया है। कार्य प्रारंभ करने के दूसरे वर्ष में इस निगम ने बिहार में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज की है।

आज पूरे बिहार में विस्तारित सैकडों स्थलों पर निगम के द्वारा कार्यान्वित कराये जा रहे कार्य प्रगति पर हैं। यही नहीं, गुणवत्ता एवं गति के संदर्भ में आधुनिक संचार माध्यमों के उपयोग के द्वारा कार्यो का सतत अनुश्रवण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में निगम के द्वारा प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य निम्नवत हैः–

ICT@ School योजना के तहत बिहार के 1000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षण को लागू किये जाने हेतु लगभग 150 करोड़ रूपया की लागत से इस योजना के कार्यान्वयण हेतु इन 1000 विद्यालयों को कुल छः– जोनों में विभक्त कर टेंडर एवं कार्य आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इनमें से 500 विद्यालयों में अधिष्ठापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा कार्य शुरू है। शेष 500 विद्यालयों में भी अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर है।

ICT@ School योजना के अनुश्रवण हेतु SCAN (School Computer Access Net work) नामक Software का निर्माण कराया गया है। इसके माध्यम से स्कूलों में कम्प्यूटर लैब के कार्य करने एवं कार्यावधि की जानकारी मुख्यालय को नियमित रूप से प्राप्त हो रही है।

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य इस योजना के तहत वर्ष 2009–10 में उत्क्रमित 323 एवं वर्ष 2010–11 में उत्क्रमित 428 मध्य विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना से युक्त भवन निर्माण एवं उपस्कर आपूर्ति का कार्य निगम के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना (2011–12) के तहत राज्य के 45 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में से अधिकांश के भवन निर्माण हेतु निविदा का कार्य पूर्ण कर कार्य आरंभ किया जा चुका है जिसमें शैक्षणिक रूप से पिछड़े किशनगंज जिले के 30 विद्यालय भी हैं।

मॉडल स्कूल का भवन निर्माण

आर्दश शिक्षण संस्थान अन्य संस्थानों हेतु मार्गदर्शक एवं मापदण्ड का कार्य करते हैं तथा पठन–पाठन के साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास में सहायक होते हैं। 2009–10 में स्वीकृत 105 एवं 2010–11 में स्वीकृत 258 मॉडल स्कूलों के एकरूप भवन निर्माण की कार्रवाई बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा की जा रही है। इन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उपस्कर सहित प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि ₹3.08 करोड़ है।

बालिका छात्रावास का भवन निर्माण

बालिकाओं में स्वतंत्र जीवन शैली के विकास हेतु बालिका छात्रावास की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। वर्ष 2009–10 में स्वीकृत 81 एवं वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 166 बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा कराया जाना

है। वर्ष 2009–10 में स्वीकृत 81 छात्रावासों हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। इन छात्रावासों की लागत राशि ₹1.52 करोड़ प्रति छात्रावास है।

उच्चतर माध्यमिक (2) विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण

राज्य के महाविद्यालयों से . 2 (उच्चतर माध्यमिक) शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है और इसे विद्यालयों से संबद्ध किया जाना है। इस हेतु +2 विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का यह कार्य विभाग के अनुमोदनोपरांत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा कराया जाना है।

महाविद्यालयों में E - LIbrary एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण

राज्य के कतिपय महाविद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षण केन्द्रों (Centre of Excellence) में परिवर्त्तित करने की अवधारणा के तहत राज्य के 19 महाविद्यालयों में E - LIbrary के साथ–साथ अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास निगम के माध्यम से कराया जायेगा। इसके तहत विद्यार्थियों की पहुँच इंटरनेट के माध्यम से विश्व की उत्कृष्ट पुस्तकों तक होगी, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे।

चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना (CIMP) का भवन निर्माण

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन शिक्षा के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए बिहार में एक उत्कृष्ट कोटि के प्रबंधन संस्थान की आवश्यकता के तहत चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान के महत्त्व को देखते हुए इस संस्थान हेतु अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप भवन–निर्माण का दायित्व बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के द्वारा कराया जाना है। ₹84.27/– करोड़ की प्राक्कलित राशि के इस भवन निर्माण के निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वद्यिालय का भवन–निर्माण

तकनीकी शिक्षण संस्थानों यथा–इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि से संबंधित संस्थानों की संबद्धता एवं परीक्षा के लिए कर्णाकिंत इस विश्वद्यिालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि में मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण हो गया है। निर्माण हेतु विस्तृत डिजाइन एवं प्राक्कलन की कार्रवाई बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा कराई जा रही है।

सैनिक स्कूलों का भवन–निर्माण

राज्य में दो सैनिक स्कूल स्वीकृत हैं। नालंदा एवं गोपालगंज में स्वीकृत इन विद्यालयों का भवन निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के द्वारा कराया जाना है। सैनिक स्कूल के भवन निर्माण हेतु ₹24.40 करोड़ की दर से कुल ₹48.80 करोड़ स्वीकृत है। सैनिक स्कूल, नालंदा का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है और सैनिक स्कूल, गोपालगंज के भवन निर्माण हेतु निविदा की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है।

शिक्षा भवन, दरभंगा

जिलों में समेकित शिक्षा कार्यालयों के संचालन एवं शिक्षा से संबंधित अन्य क्रियाकलापों के संचालन हेतु एक शिक्षा–भवन के निर्माण की योजना के तहत दरभंगा में शिक्षा–भवन के निर्माण की कार्रवाई BSEIDC द्वारा की जा रही है। ₹2.18 करोड़ की स्वीकृत राशि से इस भवन निर्माण हेतु

निविदा की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करने की योजना है।

<u>महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण</u>

महाविद्यालयों की स्वच्छता एवं विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए राज्य के 254 महाविद्यालयों में शौचालय के निर्माण का कार्य BSEIDC द्वारा कार्यान्वित कराया जाना है। प्रति महाविद्याालय ₹4.00 लाख की स्वीकृत राशि की इस योजना में प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रों हेतु 04 एवं छात्राओं हेतु 04 शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। इस कार्य हेतु अधिकांश महाविद्यालयों के लिए निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आवंटित किया जा चुका है और कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।

वार्षिक योजना 2013–14 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा (राज्य योजना)

शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार – राज्य में बड़ी संख्या में प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। विगत नियुक्तियों में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई जिसका राज्य स्तर पर निराकरण संभव नहीं था। अतः जिला स्तर पर शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2013–14 के लिए उद्व्यय ₹600.00 लाख प्रस्तावित है।

विभिन्न शैक्षणिक अवसरों का आयोजन– राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 11–12 नवम्बर को शिक्षा दिवस एवं 22–23 मार्च को बिहार दिवस का आयोजन पूरे राज्य में किया जाता है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक अवसरों का आयोजन किया जाता है। इस में समाज के सभी वर्गों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2013–14 के लिए उद्व्यय ₹525.00 लाख प्रस्तावित है।

बिहार बाल भवन के लिए अनुदान – वित्तीय वर्ष 2008–09 में बिहार बाल भवन की स्थापना बच्चों में शैक्षिक के साथ–साथ सांस्कृतिक, रचनात्मक, कलात्मक, गुणों के विकास एवं उनके चतुर्दिक विकास हेतु की गयी।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2013–14 के लिए उदव्यय ₹460.00 लाख प्रस्तावित है।

डाटा इण्ट्री ऑपरेटर हेतु मानदेयः– विभाग के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत संचिकाओं का कम्प्यूटरीकरण, कम्प्यूटर के माध्यम से ही संचिकाओं का निष्पादन, सभी तरह के पत्रों एवं प्रतिवेदनों को तैयार करने तथा कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग में डाटा इण्ट्री ऑपरेटरों को अनुबंध पर रखा गया है।

इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2013–14 के लिए उद्व्यय ₹66.68 लाख प्रस्तावित है।

विभाग का कम्प्यूटराईजेशन :– इस योजना के लिए वार्षिक योजना 2013–14 के लिए उद्व्यय ₹100.00 लाख प्रस्तावित है।

मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण – इस योजना का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवं नामांकन वृद्धि तथा बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी विद्यालयों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मदरसा बोर्ड/संस्कृत बोर्ड से सहायता प्राप्त विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों सहित) में अध्ययनरत वर्ग I-VIII के बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के गहन अनुश्रवण की नितान्त आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में मध्याह्न भोजन योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य योजना मद में उदव्यय ₹100.00 लाख प्रस्तावित है।

औजार योजना– बिहार में मुस्लिम लड़कियों को हुनर कार्यक्रम के अन्तर्गत NIOS के सहयोग से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें दिये गये

प्रशिक्षण का मूल्यांकन करा लिया गया है एवं सफल छात्राओं को सीखे गये हुनर के आधार पर व्यावसायिक कार्य प्रारंभ कराने के लिए ''औजार'' योजना प्रारंभ है। इस योजना के अन्तर्गत टूल कीट सेट (Tool Kit Set) दिया जाता है। टूल कीट सेट (Tool Kit Set) खरीदने हेतु प्रत्येक लड़कियों को ₹2500/– उपलब्ध कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 मे औजार योजना हेतु राज्य योजना मद में उद्व्यय ₹100.00 लाख प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री पोशाक योजनाः– इस योजना अंतर्गत पूर्व से ही वर्ग– 3 से 5 में नामांकित छात्र/छात्राओं को दो सेट पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रतिवर्ष ₹500/– विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में छात्र–छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु उदव्यय ₹14682.80 लाख प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजनाः– इस योजना अंतर्गत पूर्व से ही वर्ग– 6 से 8 में नामांकित छात्राओं को दो सेट पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रतिवर्ष ₹700/– विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में छात्र–छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु उद्व्यय ₹10000.00 लाख प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजनाः– राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक धरोहरों से अवगत कराने एवं शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष प्रति विद्यालय ₹10000/– की राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का बच्चों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में परिभ्रमण हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए उद्व्यय ₹1000.00 लाख प्रस्तावित है।

महादलित समुदाय के बच्चों के लिए उत्थान केन्द्रः– यह एक राज्य संपोषित योजना है जिसके अंतर्गत सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर पर पिछड़े महादलित समुदाय के 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों को उत्थान केन्द्रों पर वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना के संचालन हेतु उद्व्यय ₹0.01 लाख प्रस्तावित है।

शिक्षा का अधिकारः– शिक्षा का अधिकार कानून (2010) के अनुपालन में प्रारम्भिक समस्याओं के बाद निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन कराया जाने लगा है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में उद्व्यय ₹900.00 लाख प्रस्तावित है।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मध्याह्न भोजन योजना– इस योजना का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवं नामांकन वृद्धि तथा बच्चों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी विद्यालयों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मदरसा बोर्ड/संस्कृत बोर्ड से सहायता प्राप्त विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों सहित) में

अध्ययनरत वर्ग I-VIII के बच्चों को पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्त्तमान में राज्य के सभी जिले इस योजना से आच्छादित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 मे मध्याह्न भोजन योजना हेतु राज्य योजना मद में ₹40000.00 लाख प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान– प्रारंभिक शिक्षा (I-VIII) के सर्वव्यापीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रुप में प्रारम्भ की गयी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 75:25 था लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 55:45 हो गया है। वर्त्तमान में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 65:35 है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है।

वर्ष 2001–02 की तुलना में सकल नामांकन अनुपात 74 प्रतिशत से बढ़कर 96.23 प्रतिशत हो गया है। वर्ग 1 से 5 का छीजन दर 52 प्रतिशत से घटकर 12.20 प्रतिशत हो गया है। इस योजना के संचालन के पूर्व विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या अत्यधिक थी, जो घटकर अब लगभग साढ़े तीन लाख रह गयी है।

वार्षिक योजना 2013–14 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए उदव्यय ₹210000.00 लाख एवं सर्व शिक्षा अभियान (TFC) हेतु ₹94600.00 लाख प्रस्तावित है।

प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14

(₹ लाख में)

क्रमांक	**योजना का नाम**	**राशि**
1	शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	500.00
2	विभिन्न शैक्षणिक अवसरों का आयोजन	525.00
3	बिहार बाल भवन के लिए अनुदान	460.00
4	डाटा इण्ट्री ऑपरेटरों के मानदेय के लिए	66.68
5	विभाग का कम्प्यूटराईजेशन	100.00
6	मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण	100.00
7	औजार योजना	100.00
8	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	14682.80
9	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	10000.00
10	मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना	1000.00
11	महादलितों के लिए उत्थान केन्द्र	0.01
12	शिक्षा का अधिकार	900.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना (राज्यांश)	
1	मध्याह्न भोजन योजना	40000.00
2	सर्व शिक्षा अभियान (राज्यांश)	210000.00
3	सर्व शिक्षा अभियान (TFC)	94600.00
	कुल	**373034.49**

जन शिक्षा

आगामी 2013–14 का भावी कार्यक्रम

महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना

वित्तीय वर्ष 2013–14 में 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक

समुदाय की महिलाओं को प्रतिवर्ष बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से तथा 06–14 आयु वर्ग के उपरोक्त समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये राज्य में महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना का संचालन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2013–14 मे महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना हेतु राज्य योजना मद में उदव्यय ₹20000.00 लाख प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री साक्षरता योजना –

राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री झुग्गी–झोपड़ी महिला साक्षरता योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ग की 2,50,000 महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से एवं 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम संचालित किया जायेगा एवं राज्य के 54 काराओं में बंद ससिमित निरक्षर बंदियों को 280 केन्द्रों के माध्यम से साक्षरता प्रदान किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2013–14 मे मुख्यमंत्री साक्षरता योजना हेतु राज्य योजना मद में उदव्यय ₹20000.00 लाख प्रस्तावित है।

केन्द्र प्रायोजित योजना

साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से बिहार के सभी 38 जिलों में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम 15+ आयु वर्ग के निरक्षरों को विशेषकर महिला निरक्षरों को साक्षर करने, उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। इसमें सम्पूर्ण कार्यक्रम व्यय का 75 प्रतिशत भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 मे साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम योजना हेतु राज्य योजना मद में उदव्यय ₹1000.00 लाख प्रस्तावित है।

प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14

(₹ लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	राशि
1	महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना।	20000.00
2	मुख्यमंत्री साक्षरता योजना –	100.00
3	साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम	1000.00
	कुल	21100.00

माध्यमिक शिक्षा

वर्ष 2013–14 की प्रस्तावित कार्यक्रम

अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण/राज्यकीय/राजकीयकृत विद्यालयों का उत्क्रमण :–

माध्यमिक शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वर्ग कक्षों के निर्माण साथ ही उन विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, कम्प्यूटर–कक्ष कॉमन–रूम इत्यादि का निर्माण कराया जा रहा है।

वार्षिक योजना 2013–14 के लिए उदव्यय ₹14800.00 लाख प्रस्तावित है।

शिक्षको के प्रशिक्षण का उन्मुखीकरण

इस योजना हेतु वार्षिक योजना 2013–14 के लिए उदव्यय ₹1.10 लाख प्रस्तावित है।

छात्रों का शैक्षणिक परिभ्रमण :–

छात्रों में परिदर्शन के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता प्रकट करने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

वार्षिक योजना 2013–14 के लिए उदव्यय ₹500.00 लाख प्रस्तावित है।

शिक्षा भवन का निर्माण :–

प्रमण्डल एवं जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के बहुत सारे कार्यालय या तो विद्यालय में चलाये जा रहे है अथवा किराये पर चल रहे है। इन जगहों पर शिक्षा विभाग का एक केन्द्रीयकृत कार्यालय हो इसके लिए यह योजना है।

वार्षिक योजना 2013–14 में उदव्यय ₹500.00 लाख प्रस्तावित है।

सिमुलतल्ला अवासीय विद्यालय का भवन निर्माण :–

बिहार सरकार ने जमुई जिले के सिमुतल्ला में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की है जिसमें विगत दो सत्रों में 60 लड़के एवं 60 लड़कियों का नामांकन हो चुका है। इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कार्रवाई चल रही है।

वार्षिक योजना 2013–14 में उदव्यय ₹500.00 लाख प्रस्तावित है।

व्यवसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरणः–

रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु व्यवसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा हैं।

वार्षिक योजना 2013–14 में उदव्यय ₹25.00 लाख प्रस्तावित है।

बिहार माध्यमिक शिाक्षा परिषद को अनुदान

बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् को अनुदान हेतु वार्षिक योजना 2013–14 मे उदव्यय ₹1.00 लाख प्रस्तावित है।

व्यावसायिक शिक्षा, छात्रवृति एवं छात्रावास हेतु सोसाईटी को अनुदान :–

इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में उद्व्यय ₹600.00 लाख प्रस्तावित है।

विद्यालयों के लिए जमीन का अधिग्रहण :–

इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में उद्व्यय ₹1500.00 लाख प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी छात्रों को साईकिल क्रय करने हेतु ₹2500/– प्रदान की जा रही है। वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹20600.00 लाख प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को साईकिल क्रय करने हेतु ₹2500/– प्रदान किया जाता है।

इसके लिए वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उदव्यय ₹18000.00 लाख प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजनाः–

इस योजना के अंतर्गत 11वीं एवं 12वीं वर्ग कक्ष की छात्राओं को पोशाक के क्रय हेतु प्रति छात्रा ₹1000/– की दर से राशि उपलब्ध करायी जाती है।

वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उदव्यय ₹10000.00 लाख प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाः–

यह एक राज्य संपोषित योजना है। इस योजना अंतर्गत वैसी सभी छात्राएं को, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो 11वीं में नामांकन कराती है, ₹10,000/– प्रति छात्रा की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाती है।

वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹6000.00 लाख प्रस्तावित है।

बिहार मुक्त विद्यालयी परीक्षा बोर्ड

बिहार मुक्त विद्यालयी परीक्षा बोर्ड योजना हेतु वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उदव्यय ₹500.00 लाख प्रस्तावित है।

बी एन इंटरप्रीनियोर योजना(शिक्षक प्रशिक्षण)

बी एन इंटरप्रीनियोर योजना(शिक्षक प्रशिक्षण) हेतु वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹0.01 लाख प्रस्तावित है।

उच्च विद्यालय हसनपुर,लखीसराय का भवन निर्माण

उच्च विद्यालय हसनपुर,लखीसराय का भवन निर्माण योजना हेतु वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹0.01 लाख प्रस्तावित है।

केन्द्र प्रायोजित योजना

माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा (I.C.T@ Schools)

माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा के तहत सभी छात्रों को कम्प्यूटर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र प्रयोजित योजना के तहत 1000 माध्यमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹334.00 लाख प्रस्तावित है।

मॉडल स्कूल :–

इस केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में आर्थिक रूप से पिछडे प्रखंडों में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूल खोलने की योजना है।

वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹2500.00 लाख प्रस्तावित है।

बालिका छात्रावास निर्माण :–

इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिका छात्रावास के निर्माण की योजना है।

वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹1000.00 लाख प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :–

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण मुख्य उद्देश्य है। 5 कि0 मी0 की परिधि में उच्च विद्यालय एवं 8 कि0 मी0 की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

इसके लिए राज्य के मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने एवं माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने की योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 14–18 आयु वर्ग के छात्रों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹7000.00 लाख प्रस्तावित है।

आई0ई0डी0एस0एस0 :–

इस योजना के अंतर्गत विकलांग छात्रों को विशेष समन्वित शिक्षा से आच्छादित किया जायगा।

वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹75.00 लाख प्रस्तावित है।

प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14

₹(लाख में)

माध्यमिक शिक्षा		
क्रमांक	**योजना का नाम**	**राशि**
1	राजकीय /राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	14800.00
2	शिक्षको के प्रशिक्षण का उन्मुखीकरण	1.10
3	छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण	500.00
4	शिक्षा भवन का निर्माण	500.00
5	सिमुतल्ला अवासीय विद्यालय का भवन निर्माण	500.00
6	व्यवसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	25.00
7	बिहार माध्यमिक शिाक्षा परिषद को अनुदान	1.00
8	व्यवसायिक शिक्षा, छात्रवृति एवं छात्रावास हेतु सोसाईटी	600.00
9	विद्यालयों के लिए जमीन का अधिग्रहण	1500.00
10	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना	20600.00
11	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना	18000.00
12	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	10000.00

13	बिहार मुक्त विद्यालयी परीक्षा बोर्ड	500.00
14	बी एन इंटरप्रीनियोर योजना (शिक्षक प्रशिक्षण)	0.01
15	उच्च विद्यालय हसनपुर, लखीसराय का भवन निर्माण	0.01
16	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	6000.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1	माध्यमिक विद्यलयों में कम्प्यूटर शिक्षा (I.C.T@ Schools)	334.00
2	मॉडल स्कूल की स्थापना	2500.00
3	बालिका छात्रावास निर्माण	1000.00
4	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	7000.00
5	आई0ई0डी0एस0एस0	75.00
	योग	**84436.12**

शोध एवं प्रशिक्षण

अध्यापक शिक्षा संस्थान

शिक्षा का अधिकार कानून के लागू होने के उपरांत राज्य में शिक्षकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। परंतु राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है। इसलिए राज्य में पूर्व से स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को चालू करने एवं अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालयों से प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से यह संस्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है।

वार्षिक योजना 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹6000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

बिहार राज्य लोक पुस्तकालय एंव सूचना केन्द्र प्राधिकार को अनुदानः–

राज्य में बिहार राज्य लोक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार का गठन किया गया है। इसके लिए वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹500.00 लाख प्रस्तावित है।

शिक्षक शिक्षा के लिए वाहय सम्पोषित परियोजना

शिक्षक शिक्षा के लिए वाहय सम्पोषित परियोजना हेतु वितीय वर्ष 2013–14 में उद्व्यय ₹5000.00 लाख प्रस्तावित है।

प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14

(शोध एवं प्रशिक्षण)

₹(लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	राशि
1	अध्यापक शिक्षा संस्थान	6000.00
2	बिहार राज्य लोक पुस्तकालय एंव सूचना केन्द्र प्राधिकार को अनुदान	500.00
3	शिक्षक शिक्षा के लिए वाहय सम्पोषित परियोजना	5000.00
	योग	**11500.00**

उच्च शिक्षा

वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित कार्यक्रम

चाणक्य विधि विश्वविद्यालयः– चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में की गई। इस संस्थान को उन्नत बनाने हेतु अभी कुछ और कार्य करने की योजना है।

वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹300.00 लाख प्रस्तावित है।

चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थानः– चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹8000.00 लाख प्रस्तावित है।

राज्य के विश्वविद्यालयों का विकासः– राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास एवं राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं इनमें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की योजना है।

वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹3500.00 लाख प्रस्तावित है।

भाषाई अकादमीः– राज्य के विभिन्न भाषाई अकादमियों को सुदृढ़ एवं शोधपरक बनाने की योजना है।

वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹100.00 लाख प्रस्तावित है।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालयः– राज्य की सभी तकनीकी शिक्षा को एकीकृत करते हुए उसके विकास हेतु सभी महाविद्यालयों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है। सभी संस्थानों का एक कैलेण्डर निर्धारित किया गया है।

वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹3000.00 लाख प्रस्तावित है।

परीक्षा भवन का निर्माणः– राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में परीक्षा भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु उद्व्यय ₹500.00 लाख प्रस्तावित है।

ए0एन0 सिंहा सामाजिक अध्ययन संस्थानः– विभिन्न योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने तथा शोध एवं सर्वेक्षण कार्य करने हेतु ए0एन0 सिंहा सामाजिक अध्ययन संस्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस हेतु उद्व्यय ₹0.01 लाख प्रस्तावित है।

डिग्री कॉलेजः– राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक अनुमंडल में कम से कम से एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाय।

वार्षिक योजना 2013–14 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु उद्व्यय ₹2000.00 लाख प्रस्तावित है।

जगजीवन राम संसदीय अध्ययन संस्थानः– इस संस्थान हेतु वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹500.00 लाख प्रस्तावित है।

एल0एन0मिश्रा सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन संस्थानः– इस संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹200.00 लाख प्रस्तावित है।

राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबागः– इस संस्थान को सरकार उत्कृष्टता का केन्द्र (Center of Excellence) के रूप में विकसित करने हेतु कृतसंकल्पित है। राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो चुकी है।

वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹500.00 लाख प्रस्तावित है।

राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबागः– इस संस्थान में को भी उत्कृष्टता का केन्द्र (Center of Excellence) के रूप में तब्दील करने हेतु सरकार कृत संकल्पित है। इसके विभिन्न आयामों को समुन्नत करने तथा इसके जीर्णोद्धार के लिए कार्रवाई की जा रही है। है।

वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹0.01 लाख का प्रस्तावित है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी के लिए भूमि अधिग्रहणः– इस हेतु वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹10000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

सामुदायिक महाविद्यालय की स्थापनाः– इस हेतु वार्षिक योजना 2013–14 में ₹1000.00 लाख प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियानः– इस हेतु वार्षिक योजना 2013–14 में उद्व्यय ₹100.00 लाख प्रस्तावित है।

प्रस्तावित वार्षिक योजना 2013–14

₹(लाख में)

क्रमांक	योजना का नाम	राशि
1	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	300.00
2	चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान	8000.00
3	विश्वविद्यालयों को विकास सहायता	3500.00
4	विभिन्न अकादमियों को सहायता	100.00
5	"आर्यभट्ट प्रोफेशनल यूनिवर्सिट" की स्थापना	3000.00
6	परीक्षा भवन का निर्माण	500.00
7	ए0एन0 सिंहा सामाजिक अध्ययन संस्थान	0.01
8	डिग्री कॉलेज	2000.00
9	जगजीवन राम संसदीय अध्ययन संस्थान	500.00
10	एल0एन0 मिश्रा सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन संस्थान	200.00
11	राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग	500.00
12	राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग	0.01
13	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहार के लिए भूमि अधिग्रहण	10000.00
14	सामुदायिक महाविद्यालय की स्थापना	1000.00
15	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान	100.00
	कुल योग	**29700.00**

विभागीय संरचना (मुख्यालय)

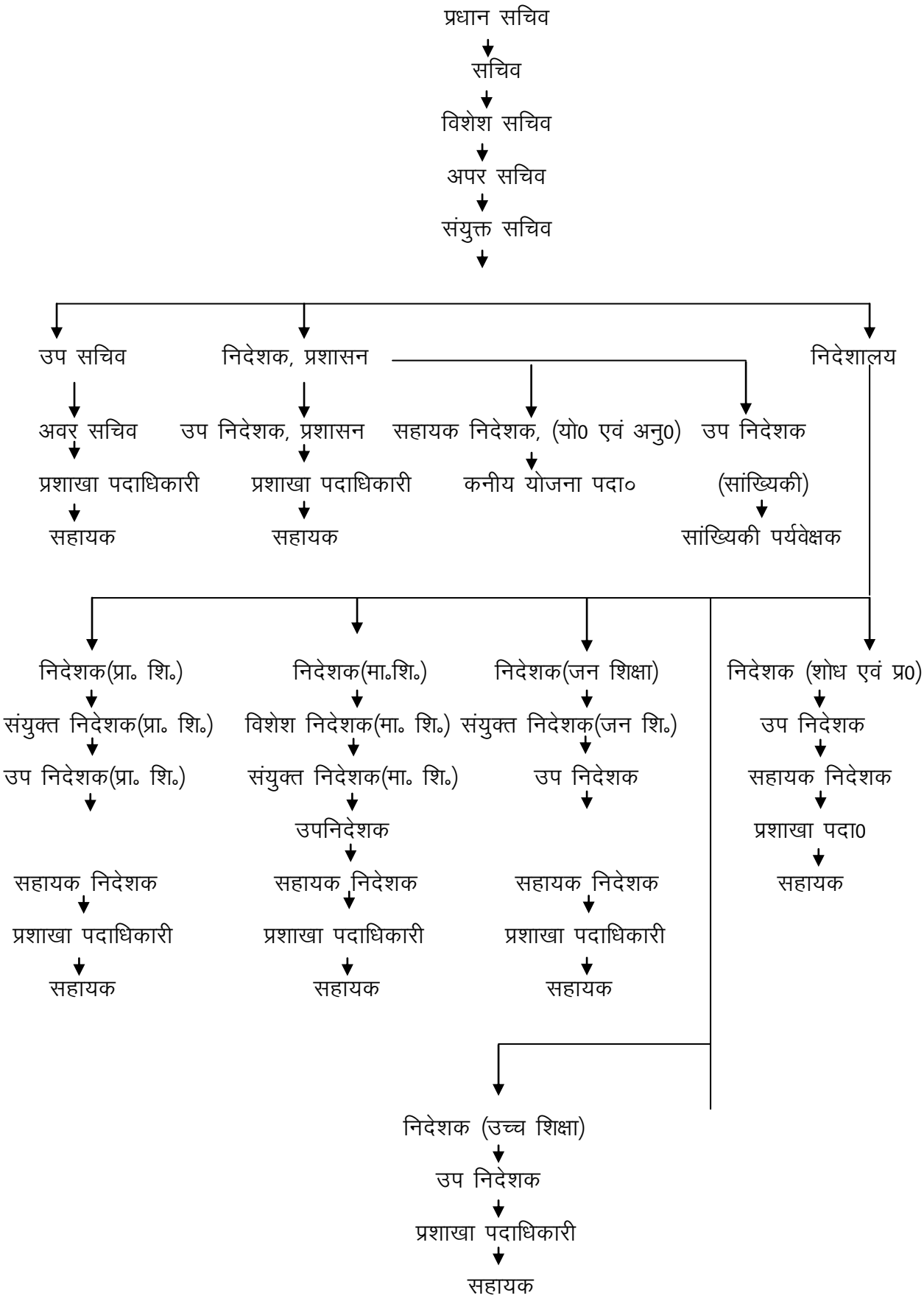

क्षेत्रीय स्तर पर संरचना